25

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

पच्चीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944(शक)

पच्चीसवां प्रतिवेदन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय - सूची

पृष्ठ सं.

समिति की सरंचना.....

प्राक्कथन .....

अध्याय - एक	प्रस्तावना	**1**
	1. विभाग का सिंहावलोकन	1
	2. विभाग की भूमिका	1
अध्याय - दो	अनुदानों की मांगें (2023-24)	**3**
	1. समीक्षा	3
	2. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत आबंटन	5
	3. राजस्व खंड	7
	4. पूँजी खंड	7
अध्याय - तीन	उपभोक्ता संरक्षण	**11**
	1. विधायी रूपरेखा	11
	2. उपभोक्ता संरक्षण रूपरेखा	12
	3. उपभोक्ता संरक्षण स्कीम	13
	4. उपभोक्ता आयोगों का सुदृढीकरण	13
	5. राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन स्कीम	16
	6. कॉनफ़ॉनेट	19
	7. ई-दाखिल पोर्टल	22
अध्याय - चार	विधिक मापविज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन का सुदृढीकरण	**24**
	1. विधायी रूपरेखा	24
	2. आरआरएसएल, गुवाहाटी	24
	3. समय प्रसरण	26
	4. राष्ट्रीय परीक्षणशाला	30
अध्याय - पांच	मूल्य निगरानी और स्थिरीकरण	**40**
	1. मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र	41
	2. मूल्य स्थिरीकरण निधि	42
अध्याय – छह	उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार) कार्यक्रम	**47**
	1. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	47
	2. उपभोक्ता कल्याण निधि	51
	3. उपभोक्ता कल्याण (कायिक) निधि	53

	परिशिष्ट	
एक.	समिति की .....27.02.2023..... को हुई ..8 वीं..... बैठक का कार्यवाही सारांश	**55**
दो.	समिति की .....13.03.2023.... को हुई ..9 वीं..... बैठक का कार्यवाही सारांश	**58**
तीन.	समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां	**60**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की संरचना

श्रीमती लॉकेट चटर्जी, सभापति

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
5. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
6. श्री जी.एस. बसवराज
7. सुश्री देबाश्री चौधरी
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
10. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा
11. श्री खगेन मुर्मु
12. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
13. श्री सुब्रत पाठक
14. श्री जी. सेल्वम
15. डॉ. अमर सिंह
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

22. श्री सतीश चंद्र दूबे
23. डॉ. फौजिया खान
24. श्री बाबू राम निषाद
25. श्री राजमणि पटेल
26. श्री सकलदीप राजभर
27. डॉ. अंबुमणि रामादॉस
28. श्री सी. वी. षनमुगम
29. श्री हरभजन सिंह
30. सुश्री दोला सेन
31. डॉ. अशोक बाजपेयी

लोक सभा सचिवालय

1.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव
4.	श्री डाँग लियनथांग टोंसिंग	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच/संवीक्षा की जिन्हें 10.02.2023 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने 27 फरवरी, 2023 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय के संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने तथा अनुदानों की मांगों (2023-24) की जाँच के संबंध में समिति को अपेक्षित जानकारी देने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

4. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023
22 फाल्गुन, 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक
वितरण संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय – एक

प्रस्तावना

1. विभाग का सिंहावलोकन

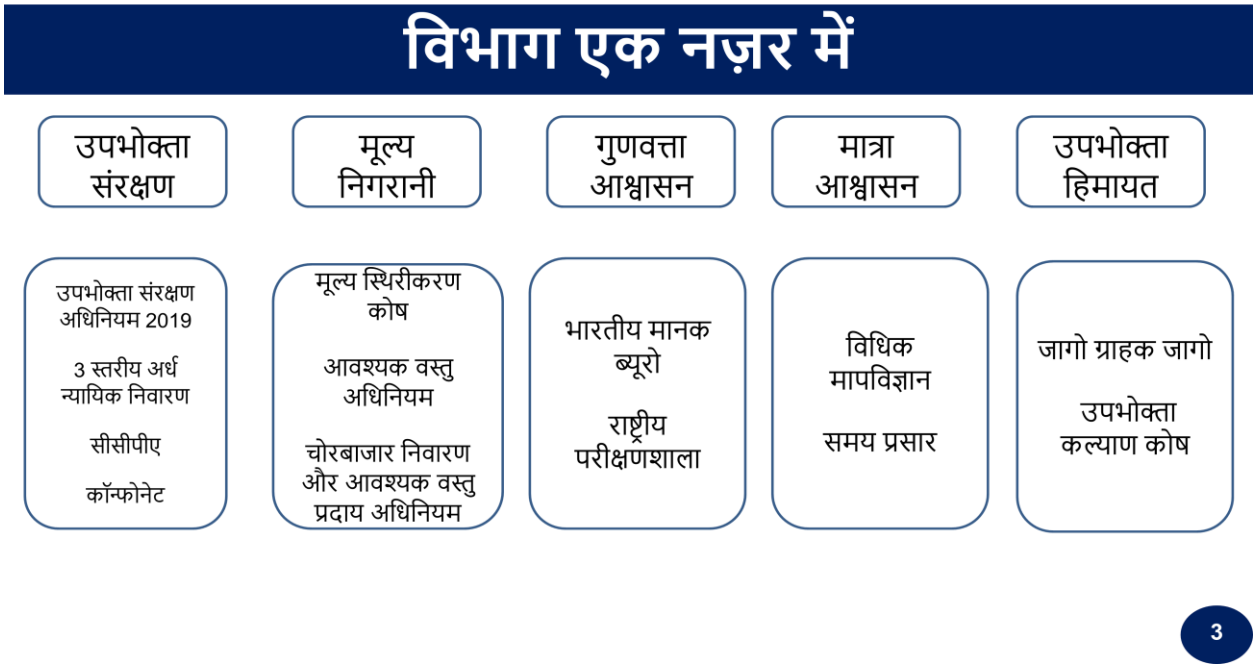

2. विभाग की भूमिका

1.2 उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो विभागों में से एक है। विभागों का जनादेश उपभोक्ता का समर्थक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के साथ भारत उपभोक्ता समर्थन में अग्रणी था, जो उस समय एक पथप्रवर्तक कानून था, जिसे 1986 में अधिनियमित किया गया था और 1997 की शुरुआत में ही उपभोक्ता मामलों के लिए समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की गई थी। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत में 20 जुलाई, 2020 को लागू हुआ, जिसने 1986 के पिछले अधिनियमन की जगह ली। नया अधिनियम भारत में उपभोक्ता विवादों के प्रशासन और निपटान में आमूल-चूल परिवर्तन करता है। यह मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों के लिए जेल की शर्तों सहित सख्त दंड का प्रावधान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह ई-कॉमर्स के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री के लिए नियम निर्धारित करता है। इस जनादेश को कार्रवाई में शामिल करना आवश्यक है:

• उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाना;

• उपभोक्ताओं के लिए उचित, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना; और

• समय पर और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण की सुविधा

1.3 विभाग को प्रशासित करने का जिम्मा सौंपा गया है: -

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण विशेष रूप से किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है)।
- चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 रखरखाव;
- विधिक माप विज्ञान,धिनियम 2009;
- डिब्बाबंद वस्तुओं का विनियमन।
- बाट और माप के मानक।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष
- प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1952
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ।
- कीमतों की निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला ।

अध्याय-दो

अनुदानो की मांगें (2023-24)

1. सिंहावलोकन

पिछले पांच वर्षों के लिए उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) का बजट अनुमान (ब,अ), संशोधित अनुमान (स.अ) और वास्तविक व्यय (व ,अ) इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	स.अ	व.अ.	स.अ. की तुलना में व.अ. में कमी
2017-18	3744.45	3733.85	3730.55	3.3
2018-19	1804.52	1799.37	1787.63	11.74
2019-20	2291.82	2069.50	1942.36	127.14
2020-21	2561.00	12298.91	11388.86	910.05
2021-22	3237.60	2717.14	2262.69	454.45
2022-23	1762.38	256.55	**231.92(26.02.2023 तक)**	**24.63**
2023-24	287.66			

2.2 एक प्रश्न के उत्तर में कि वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन 1762.38 करोड़ से 256.55 करोड़ रुपये कम क्यों किया गया, उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार उत्तर दिया:

"मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत 1500 रूपए के आवंटन में कमी के कारण बजट अनुमान (2022-23) आवंटन को संशोधित अनुमान (2022-23) चरण में कम कर दिया गया है। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना, कृषि-बागवानी वस्तुओं, अर्थात् दाल और सब्जियों जैसे प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कार्यनीतिक बाजार आविष्कारों के लिए स्थापित की गई है। कॉर्पस फंड में अर्जित वार्षिक बजटीय सहायता और स्टॉक की खरीद, भंडारण और निपटान से जुड़े मूल्य स्थिरीकरण कार्यों को इस निधि से वित्त पोषित किया जाता है। स्टॉक की बिक्री से प्राप्त आय को कॉर्पस फंड में वापस लगाया जाता है। चूंकि पीएसएफ कॉर्पस में शेष राशि 2022-23 के दौरान बफर ऑपरेशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए 2022-23 (ब.अ.) में 1500 रुपये की बजटीय सहायता को संशोधित अनुमान (2022-23) में घटाकर 1.00 लाख रुपये कर दिया गया है। 13 फरवरी, 2023 को पीएसएफ कॉर्पस में

शेष राशि 5,925 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि है। सरकार आगामी वित्त वर्ष (2023-24) के दौरान आवश्यकता होने पर मूल्य स्थिरीकरण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.3 वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान स.अ. की तुलना में कम उपयोग के कारण के बारे में समिति के प्रश्न के लिखित उत्तर में, उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संबंध में अव्ययित	कारण
2019-20	2291.82	2069.50	1942.36	127.14	127.14 करोड़ रुपये की बचत के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:- क) एम.एच. 2552 पूर्वोत्तर के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष में 107.00 करोड़ रूपए की बचत हुई। बचत पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थी। ख) 6.11 करोड़ रुपये की बचत उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार) के अंतर्गत की गई। बचत मुख्य रूप से बाहरी जागरूकता अभियानों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट अभियान में भारी कमी और मुख्य रूप से सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से किए जा रहे प्रसार के कारण हुई।
2020-21	**2561.00**	**12298.91**	**11388.86**	**910.05**	910.05 करोड़ रुपये की बचत के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:- क). एम.एच. 2552 पूर्वोत्तर के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष में 664.70 करोड़ रूपए की बचत

					हुई। बचत पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थी। ख). जीएसटी पर प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए सीबीआईसी द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष से रु. 238.08 करोड़ का उपयोग किया जाना था। बचत सीबीआईसी द्वारा निधि का उपयोग न करने के कारण हुई थी।
2021-22	**3237.60**	**2717.14**	**2262.69**	**454.45**	454.45 करोड़ रुपये की बचत के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:- क). एम.एच. 2552 पूर्वोत्तर के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष में 210.17 करोड़ रूपए की बचत हुई। बचत पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थी। ख). उपभोक्ता कल्याण कोष में 226 करोड़ रूपए की बचत हुई। बचत जीएसटी पर प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए सीबीआईसी द्वारा निधियों के अनुपयोग के कारण थी।

2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत आवंटन

2.4 विभाग ने समिति को सूचित किया है कि आगामी बजट 2023-24 में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के लिए निम्नानुसार 113.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है:

योजना	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**बजट अनुमान 2022-23**	**संशोधित अनुमान 2022-23**	**व्यय (26.02.2023 तक)**	**संशोधित अनुमान 2022-23 के वास्तविक व्यय का %**	**बजट अनुमान 2023-24**

कुल राजस्व	2,328.84	1,579.15	71.72	66.72	93%	86.47
कुल पूंजी	19.41	19.35	26.62	16.68	63%	27.03
योजना कुल योग (राजस्व+ पूंजी)	2,348.25	1,599.00	98.34	83.40	85%	113.50

PPT 105

2.5 उपर्युक्त का योजना-वार ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

योजना	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**बजट अनुमान 2022-23**	**संशोधित अनुमान 2022-23**	**व्यय (26.02.2023 तक)**	**संशोधित अनुमान 2022-23 के वास्तविक व्यय का %**	**बजट अनुमान 2023-24**
1. उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार)	23.00	25.00	17.50	15.70	90%	17.99
2. उपभोक्ता सुरक्षा	42.00	40.00	37.82	37.15	98%	44.00
(i) उपभोक्ता आयोगों को सुदृढ़ करना	2.79	6.00	3.16	2.70	85%	7.00
(ii) कानफोनेट	32.00	27.00	29.26	29.26	100%	29.40
(iii) उपभोक्ता हेल्पलाइन	0.40	--	--	--	--	--
(iv)आईसीजीआरएस (उपभोक्ता सुरक्षा प्रकोष्ठ)	6.81	7.00	5.40	5.19	96%	7.60
3. वजन एवं माप	18.15	17.00	23.00	15.14	66%	28.00
(i) डब्ल्यू एवं एम आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना	0.93	3.00	3.00	3.00	100%	6.75%
(ii) आरआरएसएल एवं आईआईएलएम को सुदृढ़ करना	7.48	4.70	4.85	2.42	50%	16.00
(iii) समय का विस्तार	9.74	9.30	15.15	9.72	64%	5.25
4. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	13.50	14.75	17.00	12.32	72%	17.00
5. भारतीय मानक ब्यूरो	--	--	--	--	--	--
(i) सोने की हॉलमार्किंग	0.10	0.75	0.01	0.01	100%	0.50
कुल	0.10	0.75	0.01	0.01	100%	0.50
6. मूल्य निगरानी संरचना को सुदृढ़ करना	1.50	1.50	3.00	2.22	74%	6.00

7. मूल्य स्थिरीकरण निधि	2,250.00	1,500.00	0.01	0.00	0%	0.01
कुल योग (योजना)	2,348.25	1,599.00	98.34	82.54	84%	113.50

2.6 समिति नोट करती है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निधियों का आवंटन और उपयोग दर्शाता है कि पिछले 5 वर्षों के वास्तविक व्यय (व. व्यय) में अत्यधिक राशि वापिस की गई । इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को संशोधित अनुमान स्तर पर बेहतर योजना बनानी चाहिए ताकि जितना अनुमान लगाया गया है उतना खर्च किया जा सके और धन के वापिस करने की संभावना को कम किया जा सके।

3. राजस्व खंड

2.7 पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत ब.अ., स.अ. और व.व. निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	3723.10	**3716.85**	3714.03
2018-19	1755.93	1744.56	1739.17
2019-20	2240.32	2051.64	1928.93
2020-21	2505.60	12264.72	11355.49
2021-22	3191.55	2697.73	2244.16
2022-23	1742.53	229.93	202.08 (20.02.2023 तक)
2023-24	259.59		

4. पूंजीगत खंड

2.8 उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत संसाधनों के आवंटन और उपयोग संबंधी आंकड़ें निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	21.35	17	16.52
2018-19	48.59	54.81	48.46

2019-20	51.50	17.86	13.43
2020-21	55.40	34.19	33.37
2021-22	46.05	19.41	18.53
2022-23	19.85	26.62	16.53 (20.02.23 तक)
2023-24	28.07		

2.9 2019-20 से 2021-22 के दौरान कम संशोधित अनुमान की तुलना में आवंटित धनराशि के कम खर्च के कारणों के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, उपभोक्ता मामले विभाग ने निम्नानुसार उत्तर:

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान के संबंध में अव्ययित**	**कारण**
2019-20	51.50	17.86	13.43	4.43	क). एलएम प्रभाग की समय प्रसार परियोजना के तहत एम एंड ई (मशीनरी और उपकरण) की कम खरीद के कारण 2.74 करोड़ रूपए की बचत हुई। ख). एम एंड ई (मशीनरी और उपकरण) की खरीद के लिए प्रस्तावों के अमल में न आने और भवन निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कम निधि की आवश्यकता के कारण 1.69 करोड़ रुपये की बचत हुई।
2020-21	55.40	34.19	33.37	0.82	बचत मामूली है।
2021-22	46.05	19.41	16.84	2.57	कोविड पाबंदियों के कारण**,** नियोजित क्रियाकलापों में से कुछ को समय पर

					पूरा नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

2.10 उन कारणों के बारे में पूछने पर जिनके परिणामस्वरुप वर्ष 2019-20 के बाद से बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में भारी कमी की गई, विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"इन वर्षों के दौरान बजट अनुमान आवंटन के संबंध में पूंजीगत शीर्ष में आवंटन संशोधित अनुमान के चरण पर आवंटन कम कर दिया गया है इसलिए संशोधित अनुमान कम हो गया है। कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण एनपीएल/एफसीआरआई और सीपीडब्ल्यूडी आदि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियां धन का उपयोग नहीं कर सकीं और इसलिए, संशोधित अनुमान को कम कर दिया गया। हालांकि, चालू वर्ष में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के कारण, 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान को बढ़ाया गया था और इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।"

2.11 पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर एक प्रश्न के लिखित उत्तर में**,** विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"विभाग मुख्य रूप से एक नियामक विभाग है और इसे "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019", विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। हालांकि, विभाग ने क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का उन्नयन और आधुनिकीकरण पूंजीगत संपत्ति का निर्माण करके बनाया है। चेन्नई और मुंबई में आवेग परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला में नए बिल्डिंग ब्लॉक भी बनाए गए हैं।"

2.12 वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित निधि का उपयोग करने की योजना के बारे में, विभाग ने निम्लिखित उत्तर दिया:

"वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत मद में आवंटित धनराशि का उपयोग समय प्रसार परियोजना के लिए समय उपकरणों की खरीद, बात और माप उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए मानक वजन और

माप, और राष्ट्रीय परीक्षण शाला के क्रियाकलापों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाएगा। खरीद में तेजी लाने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।".

2.13 समिति यह नोट करती है कि विभाग ने क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं का निर्माण करके और राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करके पूंजीगत संपत्ति बनाई है। समिति यह भी नोट करती हैं कि चेन्नई और मुंबई में इम्प्ल्स परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में नए भवन ब्लॉक भी बनाए गए हैं। समिति यह भी नोट करती हैं कि पूंजीगत शीर्ष में वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित धन का उपयोग समय प्रसार परियोजना, के लिए समय उपकरणों की खरीद, बाटऔर माप उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए मानक बाटऔर माप, और राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला मे गतिविधियों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाएगा। समिति चाहती है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन को उचित योजना के साथ उचित स्तर पर इस तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके।

अध्याय – तीन

उपभोक्ता संरक्षण

विभाग ने उपभोक्ता सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के बारे में निम्नानुसार बताया है:

- उपयुक्त प्रशासकीय और विधिक तंत्र बनाना जिस तक उपभोक्ताओं की पहुंच आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों संगठनों से संपर्क करना।
- उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल करना और भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
- उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता और मानकों से समझौता नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर, तो प्रतितोष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता आयोगों में जाने के लिए प्रेरित करना।
- उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति शिक्षित करना।
- उपयुक्त विधान के माध्यम से लाभकारी उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान करना।

1. विधिक रुपरेखा

3.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को आधुनिक बनाने और वैश्वीकरण, उपकरण और प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स बाजार के नए युग में अधिनियम को और मजबूत करने के उद्देश्य से, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को संसद में 09.08.2019 को पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 20 जुलाई, 2020 से लागू किया गया है।

3.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अंतर्गत, उपभोक्ता संबंधी विवादों का त्वरित, सरल और किफायती समाधान प्रदान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, उपभोक्ता आयोग नामक एक त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला आयोगों और राज्य आयोगों की स्थापना और उनका प्रभावी ढंग से संचालन करें। हालांकि, राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार उपभोक्ता आयोग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना के अंतर्गत वित्तीय

सहायता प्रदान कर रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोगों में कम से कम न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो उनके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हैं। इस योजना के अंतर्गत, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उपभोक्ता आयोग की नई इमारतों के निर्माण, मौजूदा भवन के अतिरिक्त/परिवर्तन/नवीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता तथा गैर-भवन संपत्तियों जैसे फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने के लिए अनुदान प्रदान की जाती है।

2. उपभोक्ता संरक्षण रुपरेखा

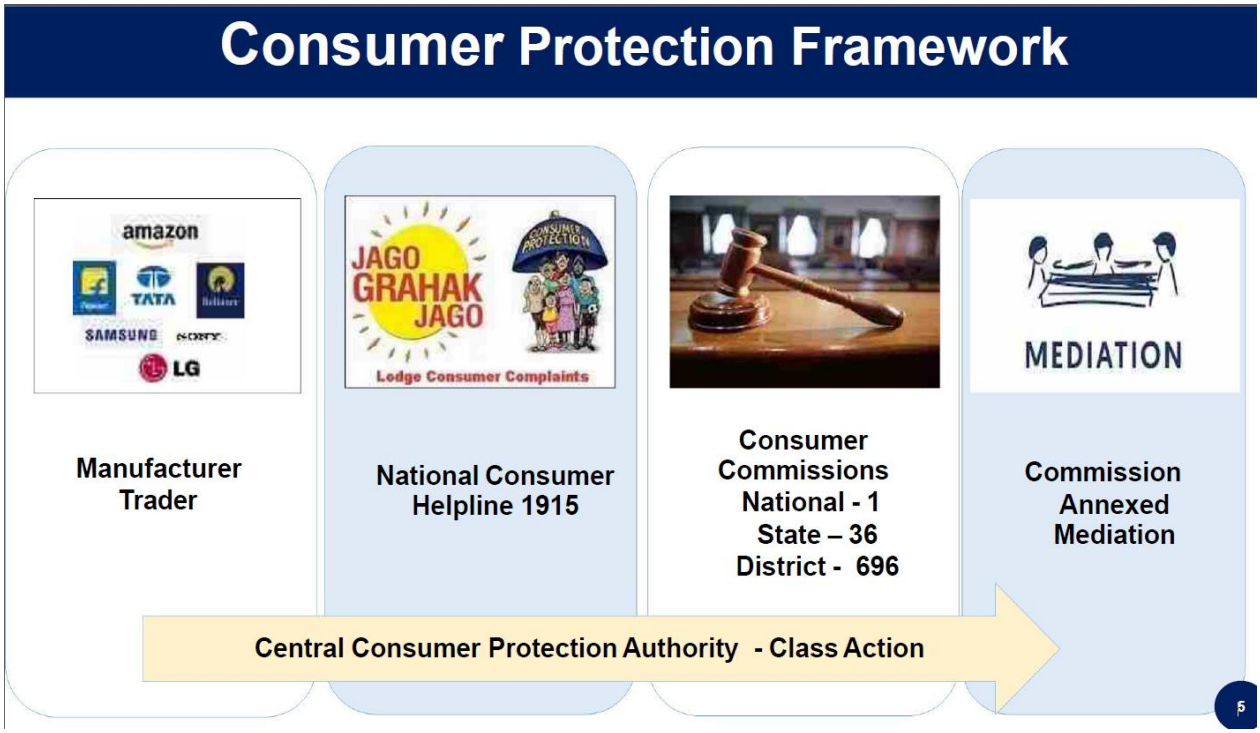

3.4 'उपभोक्ता संरक्षण' योजना का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाना है; उपभोक्ताओं के लिए उचित, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना; और समय पर और प्रभावी शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना। यह जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है; प्रगतिशील कानूनों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ाना तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम; मानकों के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन देना; किफायती और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र आदि तक पहुंच सुनिश्चित करना।

3. <u>उपभोक्ता संरक्षण स्कीम</u>

3.5 पिछले वर्षों 5के दौरान प्रमुख शीर्ष संशोधित ,के तहत उपभोक्ता संरक्षण के लिए बजट अनुमान 3456 अनुमान और वास्तविक व्यय नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	32.00	26.40	26.18
2018-19	70.00	60.00	58.90
2019-20	35.00	48.49	46.38
2020-21	49.00	40.41	39.18
2021-22	44.00	42.00	41.7
2022-23	40.00	37.82	36.62
2023-24	44.00		

3.6 बजट आवंटन में अधिक यथार्थवादी होने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया:

"बजट उपभोक्ता आयोगों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाने वाली / सम्मेलनों के आयोजन में अपेक्षित व्यय और कॉनफोनेट परियोजना/बैठकों ,निधियोंके अंतर्गत मांग के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। यथार्थवादी बजट बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं जैसे हितधारकों के साथ चर्चा , पिछले वित्तीय वर्षों में प्राप्त बजट का बजट को अंतिम रूप देने से पहले अध्ययन किया जाता ,प्रस्तावों की जांच है।".

4. उपभोक्ता आयोग को सुदृढ़ करना (एस सी सी)

3.7 जैसा कि पहले ही बताया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ,2019 के उपबंधों के तहत उपभोक्ता विवादों का त्वरित ,सरल और सस्ता समाधान प्रदान करने के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोग नामक एक त्रिस्तरीय-अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है।

3.8 समिति को यह भी सूचित किया गया है कि इस स्कीम के तहत ,उपभोक्ता आयोग के नए भवनों के निर्माण ,मौजूदा भवन के परिवर्धन/परिवर्तन/पुनरूद्धार और गैर-भवन परिसंपत्तियों जैसे फर्नीचर ,कार्यालय

उपकरण ,सीसीटीवी कैमरे आदि के संस्थापन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

3.9 पिछले के तहत 3456 वर्षों के दौरान प्रमुख शीर्ष 5उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए आवंटन और व्यय नीचे दिए गए हैं:

(हजार रूपए में)

लघु शीर्ष	03 (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग)		
Year	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	143400	145140	143169
2018-19	179800	166050	160788
2019-20	176200	183200	178589
2020-21	203750	183800	176885
2021-22	206550	225800	206931
2022-23	370400	335330	305707(20.02.2023 तक)
2023-24			

3.10 उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्यों को प्रदत्त निधि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिए गए हैं:

(लाख रूपए में)

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल प्रदत्त अनुदान**	**लंबित यूसी**
1	आंध्र प्रदेश	1068.60	229.30
2	अरुणाचल प्रदेश	1059.55	0.00
3	असम	301.92	4.93
4	बिहार	822.78	256.63
5	छत्तीसगढ	827.64	200.00
6	गोवा	70.00	0.00

7	गुजरात	2245.82	10.57
8	हरियाणा	753.24	183.45
9	हिमाचल प्रदेश	427.64	52.57
10	जम्मू और कश्मीर	105.00	0.85
11	झारखंड	195.00	57.63
12	कर्नाटक	1462.77	6.65
13	केरल	1051.12	195.82
14	मध्य प्रदेश	1714.69	28.15
15	महाराष्ट्र	821.56	56.49
16	मणिपुर	237.49	0.00
17	मेघालय	308.27	0.00
18	मिजोरम	475.62	4.90
19	नागालैंड	979.25	80.00
20	उड़ीसा	856.76	19.59
21	पंजाब	519.77	54.18
22	राजस्थान	1563.43	488.02
23	सिक्किम	282.30	0.00
24	तमिलनाडु	1393.47	0.00
25	तेलंगाना	73.00	0.00
26	त्रिपुरा	366.95	0.03
27	उत्तर प्रदेश	2860.66	239.57
28	उत्तराखंड	380.54	171.36
29	पश्चिम बंगाल	2546.35	1013.65
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	159.60	125.00

31	चंडीगढ़ प्रशासन	29.80	0.00
32	दादरा नगर हवेली	60.00	40.12
33	दमन और दीव	70.00	52.90
34	लद्दाख	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	60.00	30.20
36	दिल्ली	191.65	78.31
37	पुडूचेरी	95.00	35.00
कुल		**26437.24**	**3715.87**

3.11 जबकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करके अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ राज्यों के यूसी प्राप्त नहीं हुए हैं। एक साक्ष्योप्रांत उत्तर में मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"...26437.24 लाख रुपये की राशि के लिए जारी की गई धनराशि में से, केवल 3715.87 लाख रुपये की राशि, अर्थात जारी की गई राशि का 14% ही, के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। 3715.87 लाख रुपये की राशि में से, केवल 2 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल और राजस्थान से संबंधित 1501.67 लाख रू. की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं।

विभाग द्वारा लंबित यूसी के मुद्दे को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है। इस संबंध में, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 7-8 राज्यों के समूहों में वीसी की विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं। ऐसी वीसी बैठकों का नवीनतम दौर 09.02.2023 से 14.02.2023 तक आयोजित किया गया था। बैठकों के दौरान, एससीसी योजना के तहत संबंधित राज्यों को जारी धन के लिए लंबित यूसी प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।".

5. राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना

3.12 राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना के तहत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन चलाने के लिए निधि भी जारी किया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। ,

3.13 राज्य वार स्वीकृत और जारी की गई धनराशि-संघ राज्य क्षेत्र/के साथ-साथ राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना के तहत अब तक की गई धनराशि की स्वीकृति और जारी करने की तिथि के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"अव्ययित शेष राशि के विवरण के साथ जारी की गई निधियों का राज्य वार विवरण-संघ राज्य क्षेत्र/नीचे दी गई तालिका के अनुसार देखा जा सकता है:

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना के तहत जारी अनुदान/लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति

(राशि रूपए में)

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल जारी किए गए अनुदान (2007-08 से 2022-23)**	**अव्ययित राशि एवं लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (02.08.2022 के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	2725000	1183722
2	अरुणाचल प्रदेश	2396616	0
3	असम	6496174	4086187
4	बिहार	6610130	834722
5	छत्तीसगढ	5920732	2724116
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	3274148	0
8	हरियाणा	15019408	0
9	हिमाचल प्रदेश	2591721	2591721
10	जम्मू और कश्मीर	2987978	2987978
11	झारखंड	2680000	75848
12	कर्नाटक	6620732	1488000
13	केरल	8920702	2167688
14	मध्य प्रदेश	9103000	3778000

15	महाराष्ट्र	12861624	79000
16	मणिपुर	5464848	1349116
17	मेघालय	2195000	788733
18	मिजोरम	7748080	0
19	नागालैंड	4867732	0
20	उड़ीसा	7017536	0
21	पंजाब	2760000	2760000
22	राजस्थान	15094580	0
23	सिक्किम	7746464	0
24	तमिलनाडु	13888080	0
25	तेलंगाना	5673268	1354029
26	त्रिपुरा	5457615	1349116
27	उत्तर प्रदेश	12521464	0
28	उत्तराखंड	2410000	1283532
29	पश्चिम बंगाल	6496174	2309658
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	2195000	1916330
31	चंडीगढ़ प्रशासन	4059572	1414771
32	दादरा नगर हवेली	2195000	2195000
33	दमन और दीव	2299558	2299558
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	दिल्ली	2195000	1453000
37	पुडूचेरी	6814784	1669499
Total		**207307720**	**44139324**

”

3.14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यूसी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, विभाग ने उत्तर दिया:

> “संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र/सरकारों से नियमित रूप से बैठकोंवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पत्रों के माध्यम/ "राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन" से अनुरोध किया जा रहा है कि इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत योजना सहित (अब बंद कर दिया गया) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई धनराशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। हाल ही में 01.12.2021 को पूर्वी राज्यों, 25.01.2022 को दक्षिणी राज्यों,14.02.2022 को सभी राज्य/जिला आयोगों और 04.03.2022, 07.03.01 और 2022.04.को 2022 संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों के साथ बैठक हुई जिसमें राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों/ से लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। 29.04.उ) को संयुक्त सचिव 2022.माके स्तर से एक पत्र भी भेजा (20 गया है। इस संबंध में.01.को 2023 सभी संबंधित राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों/ से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों/ को अनुस्मारक पत्र भी भेजे गए हैं ,.....उपरोक्त के अलावा , /संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारें बैठक के माध्यम से नियमित रूप से विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र को ज/ारी की गई धनराशि के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा रहा है।

3.15 समिति नोट करती है कि अर्ध-न्यायिक उपभोक्ता आयोगों को चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता के लिए, उपभोक्ता मामलों का विभाग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अतंर्गत बुनियादी ढांचे को संदृढ करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग स्तर के प्रभावी कार्यकरण के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सके । इसलिए, समिति आशा करती है कि विभाग पूरी राशि का उपयोग सुनिश्चित करने और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथाशीघ्र यूसी प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करेगा और कड़े कदम उठाएगा।

6. कम्प्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ़ कंज्यूमर कमीशन इन कंट्री, (कानफोनेट)

3.16 देश में कम्प्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ़ कंज्यूमर कमीशन इन कंट्री (कानफोनेट) के तहत उपभोक्ता आयोगों के सभी तीन स्तरों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जाना था। देश भर में उपभोक्ता आयोगों का स्वचालन और नेटवर्किंग विभाग की कानफोनेट परियोजना द्वारा समर्थित है जिसे एनआईसी द्वारा

डिज़ाइन, विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। नवीनतम तकनीक के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सॉफ्टवेयर को नया रूप देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

3.17 वर्ष 2017-18 के बाद के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय नीचे दिए गए हैं:

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान का %
2017-18	**10**	**14.5**	**14.45**	**100**
2018-19	**18.50**	**38.50**	**38.49**	**99.9**
2019-20	**22**	**33.63**	**26.63**	**100**
2020-21	**29.50**	**29.50**	**29.50**	**100**
2021-22	**26**	**32**	**26**	**81.3**
2022-23	**20.00**	**29.26**	**29.26**	**100**
2023-24	29.40			

3.18 पिछले बेकार/वर्षों में विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में पुराने 5हो चुके हार्डवेयर जिन्हें बदला गया है, विभाग द्वारा प्रस्तुत उनका विवरण नीचे दिया गया है:

उपभोक्ता आयोगों में बदले गये हार्डवेयर					**टिप्पणियां**
वर्ष	**एससीडीआरसी**	**डीसीडीआरसी**	**सीबी**	**कुल**	
2018-2019				0	डेस्कटॉप , ऑल इन वन और यूपीएस की आपूर्ति की जाती है
2019-2020	31	378	6	415	
2020-2021				0	
2021-2022	3	196	1	200	
2022-2023		24	5	29	
Total	**34**	**598**	**12**	**644**	

3.19 योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के संबंध में, विभाग ने सूचित किया कि कोंफोनेट की कार्यान्वयन एजेंसी, एनआईसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों में साइट तैयार की जा रही:

1. अरुणाचल प्रदेश के 4 साइट) अंजाव , दिबांग घाटी ,कुरुंग कुमे , तिरप :(साइट तैयार की जा रही है।

2. छत्तीसगढ़ के 2 साइट) बीजापुर , नारायणपुर :(साइट तैयार की जा रही है
3. जम्मू और कश्मीर) श्रीनगर (में 1 साइट अभी तक कोई उपभोक्ता आयोग कार्य नहीं कर रहा है।
4. नागालैंड में 3 साइट) पेरेन , लोंगलेंग , किफिर :(साइट तैयार की जा रही है
5. लद्दाख में 2 साइट) लद्दाख एससी ,लेह :(अभी तक कोई उपभोक्ता आयोग कार्य नहीं कर रहा है।
6. इसके अलावासंघ राज्य क्षेत्र में मिला दिया 1 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को अब , गया है। दमन और दीव से डेटा का दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थानांतरण किया दादर और नगर हवेली जि ,गया है और यह कार्य कर रहा है। इसके अलावाला आयोग में 1 डीएमए भी प्रदान किया गया है ।

3.20 कम्प्यूटरों के प्रावधान के संबंध में कानफोनेट और उपभोक्ता आयोगों के सुदृढ़ीकरण योजना (एससीसी) के अंतर्गत कार्यके अतिव्यापन के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामले विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्न प्रस्तुत किया:

"एससीसी योजना के तहत केंद्र सरकार उपभोक्ता आयोगों की भवन और गैरभवन अवसंरचना के - सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग में न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यह वित्तीय सहायता, जिला आयोग भवन के संबंध में वर्ग फुट के निर्माण क्षेत्र तक 11000 वर्ग फुट के निर्माण क्षेत्र और राज्य आयोग भवन के संबंध में 5000 वर्ग फुट क्षेत्र शामिल है। राज्य आयोग के 1000 जिसमें दोनों में मध्यस्थता प्रकोष्ठ के निर्माण के लिए ,सीमित है संबंध मे 25.10 लाख रुपये और जिला आयोग के संबंध में 00.लाख रुपये की समग्र लागत सीमा के 00 भवन परिसंपत्तियों -पुस्तकालय पुस्तकें आदि की खरीद हेतु गैर ,कार्यालय उपकरण ,कंप्यूटर ,भीतर फर्नीचर के लिए सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

दूसरी ओरहार्डवेयर संबंधी वस्तुएं /कॉनफोनेट के तहत केवल तकनीकी जनशक्ति और आईटी सॉफ्टवेयर , उपलब्ध करायी जा रही हैं। कॉनफोनेट योजना का मूलउद्देश्य एनसीडीआरसीराज्य आयोगों और जिला , उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता आयोगों के समक्ष दायर किए गएनिपटाए गए और लंबित उपभोक्ता , गवर्नेंस समाधान लागू करना -मामलों की निगरानी के लिए आईसीटी अवसंरचना स्थापित करना और एक ई कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करना और उपभोक्ता ,पारदर्शिता ,दक्षता ,गवर्नेंस-है। इस योजना का उद्देश्य ई आयोगों की निगरानी करना है। यह योजना परियोजना मोड पर एनआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत एनआईसीएसआई को एनआईसी की सलाह पर निधियां जारी की जाती है। एनआईसी बदले में एनआईसीएसआई के माध्यम से उपभोक्ता आयोगों को हार्डवेयरसॉफ्टवेयर और , तकनीकी जनशक्ति प्रदान करताहै।

अतःकॉनफोनेट और उपभोक्ता आयोग का सुदृढ़ीकरण , (एससीसी) योजना के तहत कार्य का कोई अतिव्यापन नहीं है।"

3.21 विभाग ने कॉनफोनेट परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नानुसार सूचित किया है:

हार्डवेयर की आपूर्ति			तैनात जनशक्ति			उपभोक्ता आयोग को ओसीएमएस पर चालू पाया गया)01/04/2012 से 14/02/(के दौरान 2023			
एससीडी आरसी	सीबी	डीसीडी आरसी	एससी डीआ रसी	सीबी	डीसी डीआ रसी	एससीडी आरसी	सीबी	डीसीडी आरसी	जोड़
35	15	591	32	10	591	35	13	588	49

ई-दाखिल पोर्टल

3.22 "edaakhil.nic.in" नामक एक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है, जो उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं को ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर से या कहीं भी अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। यह ई-दाखिल सॉफ्टवेयर शुल्क के भुगतान का प्रमाण अपलोड करने के साथ-साथ शुल्क का भुगतान ऑफ़लाइन करने का विकल्प देने के साथ-साथ शिकायत शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करता है। खरीदे गए सामान या सेवाओं पर भुगतान पर विचार – विमर्श से आर्थिक क्षेत्राधिकार तय किया जाता है। रु. 5,00,000/- से कम के उत्पाद या सेवा के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब तक, जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र) को छोड़कर एनसीडीआरसी और 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में ई-दाखिल पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है।

3.23 भारत में कहीं से भी विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए दाखिल पोर्टल लॉन्च किया -संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए ई/राज्यों 34 गया है। यह उपभोक्ताओं को शिकायत शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करनेमामले के दस्तावेज अपलोड करने और प्रक्रिया , को ट्रैक करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का समय पर और प्रभावी प्रशासन और निपटान प्रदान करना है।

3.24 समिति नोट करती है कि देश में उपभोक्ता आयोगों के कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग योजना (कानफोनेट) के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों के सभी तीन स्तरों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जाना था। समिति 2017-18 **से निधियों के खर्च की प्रवृत्ति अर्थात संशोधित अनुमान स्तर से ,की सराहना करती है। समिति** 35 **राज्य आयोगों (एससी)**, 15 **सर्किट बेंचों (सीबी) और** 591 **जिला आयोगों (डीसी) में हार्डवेयर की आपूर्ति**, 32 **एससी**, 10 **सीबी और** 591 **डीसी में जनशक्ति की तैनाती और उन** 35

एससी के आयोगों के संचालन की भी सराहना करती हैं। ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) पर 35 एस सी 13 **सीबी और** 588 **डीसी। समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि ई-दाखिल पोर्टल ने 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है और विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को बढ़ावा दे रहा है। समिति आशा करती है कि विभाग भविष्य में भी इस प्रवृत्ति को जारी रखने का प्रयास करेगा।**

अध्याय - चार

विधिक मापविज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन सुदृढ़ीकरण

1. विधिक रूपरेखा

समिति को विभाग ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) बाटमाप - अधिनियम, 1976 और बाटअधिनियम (प्रवर्तन) माप-, 1985 के मानकों को निरस्त करने के बाद 01.04.2011 से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सात नियम बनाए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने कानूनी माप विज्ञान नियम बनाए हैं। (प्रवर्तन)

4.2 उपभोक्ता हित के संरक्षण के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत निम्नलिखित विधिक माप विज्ञान नियम बनाए गए हैं:

1. विधिक मापविज्ञान नियम (पैकबंद वस्तुएं), 2011
2. विधिक मापविज्ञान नियम (सामान्य), 2011
3. विधिक मापविज्ञान नियम(मॉडल का अनुमोदन), 2011
4. विधिक मापविज्ञान नियम(राष्ट्रीय मानक), 2011
5. विधिक मापविज्ञान नियम(गणन), 2011
6. भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011
7. विधिक मापविज्ञान नियम (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र), 2013

2 आर आर एस एल गुवाहाटी

4.3 लघु शीर्ष 01.00.52 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल)**,** गुवाहाटी के लिए बनाए गए प्रमुख शीर्ष 4552 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर निधि आवंटन:पूंजी परिव्यय के आंकड़े विभाग द्वारा निम्नवत् प्रस्तुत किए गए हैं/

"

(हजार रुपए में(

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	1000	0	0
2018-19	5000	5000	5000**
2019-20	5000	5000	5000**
2020-21	10000	0	0
2021-22	5000	0	0
2022-23	0*	0	**1913**
2023-24	0*		

"* पूर्वोत्तर क्षेत्रों अर्थात् आरआरएसएल, गुवाहाटी के लिए उपयोग करने से पहले निधियों को कार्यात्मक मद में पुनर्विनियोजित किया जाता है। इसलिए, 2022-23 और 2023-24 के दौरान आरआरएसएल, गुवाहाटी के लिए निधियों का उपयोग कार्यात्मक मदों से किया जाएगा। 1.50 करोड़ रुपये के कुल संशोधित अनुमान में से 0.19 करोड़ रुपये की राशि आरआरएसएल गुवाहाटी के लिए उपयोग की गई जो कुल राशि का 10% से अधिक है।

**धन का उपयोग आरआरएसएल, गुवाहाटी के कार्यात्मक मद में पुनर्विनियोजन के बाद किया गया था।"

4.4 संशोधित अनुमान के स्तर पर बजट अनुमान में भारी कमी किए जाने और 2017-18 से बिल्कुल भी खर्च नहीं किए जाने और धन का आवंटन मात्र इसलिए किए जाने की उसे अभ्यर्पित कर दिया जाए, जिससे बीच की अवधि में मशीनरी और उपकरणों पर लागत में वृद्धि हुई है, के मुद्दे पर डीओसीए ने निम्नवत् बताया:

"... लघु शीर्ष 05.00.52 एक गैर-कार्यात्मक शीर्ष है और इसलिए**,** उपयोग करने से पहले कार्यात्मक शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोजन किया जाता है। उक्त गैर-कार्यात्मक शीर्ष में संशोधित अनुमान चरण पर उपलब्ध निधियों को कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोजित किया गया था और खर्च किया गया था। 2017-18 के दौरान संशोधित अनुमान को 10.0 लाख से बजट अनुमान से शून्य रुपये तक घटा दिया गया था, क्योंकि आरआरएसएल गुवाहाटी के लिए आरआरएसएल के कार्यात्मक शीर्षों से निधियों का उपयोग किया गया था।

2018-19 और 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल(**,** नई दिल्ली**,** द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई(, पलक्कड़**,** केरल या आरआईटीईएस को पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए धन जारी किया गया था**,** हालांकि धन के गैर-कार्यात्मक शीर्ष होने के नाते कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोजन के बाद उपयोग किया गया।

2020-21 और 2021-22 के दौरान कोविड**-19** महामारी की व्यापकता के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका और इसलिए**,** संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों को कम कर दिया गया। उपकरण को अंशांकित करने और संस्थापित करने की आवश्यकता है जो उस अवधि के दौरान नहीं किया जा सका। 2022-23 के दौरान आरआरएसएल**,** गुवाहाटी के लिए धन का उपयोग एम एंड ई के लिए आरआरएसएल के कार्यात्मक शीर्ष से किया गया था।

इसके अलावा, नवीनतम तकनीक और हमेशा परिवर्तनशील अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल रखते हुए, आरआरएसएल के लिए अद्यतन उपकरण खरीदने की आवश्यकता है, जो बाट और माप के लिए शीर्ष स्तर की प्रयोगशालाएं हैं और क्षेत्र में राज्यों/उद्योगों की मांग को पूरा करती हैं।

4.5 समिति नोट करती है कि लघु शीर्ष 01.00.52 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए विभाग ने पुनर्विनियोग के माध्यम से वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपये खर्च किए और वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से 19.13 लाख रुपये खर्च किए । इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। विभाग ने सूचित किया कि यह शीर्ष एक गैर कार्यात्मक शीर्ष है तथा निधियों का उपयोग करने से पूर्व कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोग किया जाता है। समिति धन का उपयोग करने के लिए पुनर्विनियोग का सहारा लेने के कारणों से अवगत होना चाहेगी।

3. समय प्रसार

4.6 समय प्रसार के सम्बन्ध में भारत में, सात आधार इकाइयों में से एक, समय का प्रसार, केवल एक स्तर पर रखा जा रहा है जो एनपीएल, नई दिल्ली में है। 2016 में कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सचिवों के समूह ने सिफारिश की है कि, "वर्तमान में, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और (टीएसपी)'इंटरनेट सेवा प्रदाता' (आईएसपी) द्वारा भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। विभिन्न प्रणालियों में समय की एकरूपता न करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराध की जांच में (एलईए) समस्याएं पैदा करता है।इसलिए, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय समय के साथ देश के भीतर सभी नेटवर्कों और कंप्यूटरों का समकालिकीकरण बहुत जरूरी है। सटीक समय प्रसार के साथसाथ सटीक समय तुल्यकालन का सभी सामाजिक-, औद्योगिक, रणनीतिक और कई अन्य क्षेत्रों जैसे पावर ग्रिड विफलताओं की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग प्रणालियों, सड़क और रेलवे में स्वचालित सिग्नलिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

4.7 समय प्रसार संबंधी परियोजना को वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और मूल रूप से वर्ष 2022 में इसका पूरा होना निर्धारित किया गया था। **लेकिन परियोजना को पूरा करने की समय सीमा को पुनः बढ़ाकर वर्ष 2023 निर्धारित किया गया है।**

4.8 पिछले 4 वर्षों के दौरान, मशीनरी और उपकरण के लिए समय के प्रसार के लिए मुख्य शीर्ष 5475 के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय लघु शीर्ष)17.00.52 और लघु शीर्ष 05.00.52) निम्नवत् है:

(हजार रुपये मे)

लघु शीर्ष	**17.00.52 (मशीनरी एवं उपकरण(**			**05.00.52 (मशीनरी एवं उपकरण(**		
वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वाव्यय .**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वाव्यय .**
2018-19	**150000**	**373700**	**337842**	**0**	**0**	**0**
2019-20	**210000**	**11240**	**11240**	**30000**	**10000**	**10000***
2020-21	**180000**	**190561**	**190561**	**30000**	**30000**	**30000***
2021-22	**150000**	**72400**	**72350**	**40000**	**18000**	**18000***
2022-23	**70000**	**116000**	**70000**	**17000**	**23000**	**17000**
2023-24	**22000**			**18000**		
कुल			**579643**			

* कार्यात्मक शीर्ष 17.00.52 में पुनर्विनियोग के पश्चात्

4.9 2023-24 के लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

(करोड़ रुपये में)

लघु शीर्ष	**17.00.52 (मशीनरी और उपकरण)**			**05.00.52 (मशीनरी और उपकरण)**		
वर्ष	**बजट अनुमान**	**लक्ष्य**	**योजना**	**बजट अनुमान**	**लक्ष्य**	**योजना**

2023-24	2.20	राशि का उपयोग टाइमिंग उपकरण की खरीद के लिए किया जाएगा	एनपीएल ने उपकरणों की खरीद के लिए निधि जारी करने का अनुरोध किया है और इसलिए , एनपीएल को निधि जारी की जाएगी	1.80	राशि का उपयोग टाइमिंग उपकरण की खरीद के लिए किया जाएगा	एनपीएल ने उपकरणों की खरीद के लिए निधि जारी करने का अनुरोध किया है ,और इसलिए , एनपीएल को निधि जारी की जाएगी

"

4.10 लघु शीर्ष 17.00.52 के अंतर्गत लगभग 58 करोड़ का व्यय करने के बाद वास्तविक उपलब्धि के संबंध में, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

"भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए एनपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर 28.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह परियोजना 31.3.2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। एमओयू के अंतर्गत, एनपीएल द्वारा टाइम एन्सेम्बल स्थापित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, स्थापना और शुरुआत की जाएगा। एनपीएल एलएम को संभालेगा और अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन में आरआरएसएल, बेंगलुरु में एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। दिनांक 03.01.2020 को पीएसए के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि:

(क) एनपीएल संयुक्त रूप से इसरो के साथ समय उपकरण/हार्डवेयर विनिर्देशों की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात एनपीएल ऐसे विनिर्देशों के अनुसार समय उपकरण खरीदेगा।

(ख) इसरो एनपीएल द्वारा खरीदे और स्थापित किए जाने वाले समय एन्सेम्बल के साथ स्वदेशी सॉफ्टवेयर को एकीकृत करेगा।

(ग) एनपीएल अंतिम उपयोगकर्ताओं को समय पर प्रसार मुहैया करने के लिए एलएम को संभालेगा।

यह बताना कि समय केंद्र स्थापित करने के लिए, अत्यधिक सटीक परमाणु घड़ियां, हाइड्रोजन मैसर इत्यादि को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने की आवश्यकता है जो कि बहुत कम हैं और डिलीवरी के लिए एक वर्ष तक का समय लेते हैं।

एनपीएल द्वारा लगभग सभी अति संवेदनशील उपकरणों के लिए निविदाएं/आदेश दिए जा चुके हैं, जिनकी आपूर्ति 2023 के दौरान होने की उम्मीद है। उनमें से कुछ की आपूर्ति एकीकरण/परीक्षण आदि के लिए इसरो को की गई है।

दिनांक 10 दिसंबर 2020 के पत्र के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय द्वारा वैश्विक निविदाओं की अनुमति पहले ही मांगी जा चुकी है।

4.11 विभाग ने आगे निम्नवत स्पष्ट किया:

"परियोजना का उद्देश्य भारतीय मानक समय का शीघ्रातिशीघ्र प्रसार करना है। सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में सभी हितधारकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सभी एजेंसियों को परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने को कहा गया है। परियोजना को गति देने के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और सचिव, उपभोक्ता मामले के साथ संयुक्त बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

4.12 राष्ट्रीय घड़ी पर आधारित विभिन्न लेन-देन में आईएसटी के समुचित मुद्रांकन के लक्ष्य को पूरा करने के समय के बारे में पूछे जाने पर, सरकार ने स्पष्ट किया:

"उम्मीद है कि 2023 के अंत तक समय केंद्रों के लिए पूरे उपकरण प्राप्त हो जाएंगे। समय के उपकरणों के एकीकरण/परीक्षण के बाद 2024 के दौरान प्रसार और समय मुद्रांकन शुरू होने की उम्मीद है"।

4.13 मौखिक साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधियों ने निम्नवत उल्लेख किया:

"विधिक मापविज्ञान का भी एक्ट है, जिसके अंतर्गत हम टाइम डीसेमिनेशन का एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं।"

4.14 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय घड़ी के साथ देश के भीतर सभी नेटवर्कों और कंप्यूटरों का संकालन आवश्यक है, विशेष रूप से सामरिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए। समय प्रसार की परियोजना 2017 में शुरू की गई थी और मूल रूप से वर्ष 2022 में पूरा होने की आशा थी। समित ने सूचित किया गया कि अब यह आशा की जाती है कि समय केंद्रों के लिए संपूर्ण उपकरण 2023 के अंत तक प्राप्त हो जाएगा और प्रसार और समय की मुहर । टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट के एकीकरण/परीक्षण के बाद 2024 के दौरान शुरू होने की आशा है। इस दौरान लघु शीर्ष 17.00.52 (मशीनरी एवं उपकरण) के अंतर्गत 58 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती हैं कि टाइमिंग सेंटरों को स्थापित करने के लिए अत्यधिक सटीक परमाणु घड़ियां, हाइड्रोजन मेसर्स आदि को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने की आवश्यकता होती है जो बहुत कम हैं और प्राप्ति में एक वर्ष तक

का समय लग जाएगा; एनपीएल द्वारा लगभग सभी अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों के लिए निविदाएं/आदेश दिए गए हैं और 2023 के दौरान आपूर्ति किए जाने की आशा है; उनमें से कुछ की आपूर्ति इसरो को एकीकरण/परीक्षण आदि के लिए की गई है; और 10 दिसंबर 2020 के पत्र के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय से वैश्विक निविदा पूछताछ की अनुमति पहले ही मांगी जा चुकी है। समिति की राय है कि राष्ट्रीय घड़ी के साथ देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटरों का संकालन आवश्यक है, विशेष रूप से वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए सामरिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में । अत:, समिति उपभोक्ता मामलों के विभाग से सिफारिश करती है कि वह समय प्रसार की परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र के विशेषज्ञता वाले लोगों को इसमें शामिल करे ताकि अर्जित लाभ अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों तक जल्द से जल्द पहुंच सके ।

4. राष्ट्रीय परीक्षणशाला

4.15 राष्ट्रीय परीक्षणशाला के मामले में, समिति को सूचित किया गया है कि →

राष्ट्रीय परीक्षणशाला उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय ने एक लम्बा सफर तय किया और वर्ष 2022 में राष्ट्र के प्रति 110 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी की।

4.16 राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्री तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में, माप-उपकरणों / उपस्करों तथा यंत्र आदि के प्रभार आधार पर अंशांकन के क्षेत्र में कार्य करता है। सही मायनों में कहें तो राष्ट्रीय परीक्षणशाला, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों या उपभोक्ता मानक विनिर्देशों के अनुरूप वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य करता है।

4.17 विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परीक्षणशाला के लिए ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय निम्नवत बताया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	20.00	17.00	17.23
2018-19	29.00	20.00	17.06
2019-20	25.00	10.07	8.06
2020-21	20.00	14.00	13.43
2021-22	23.45	13.50	12.40
2022-23	14.75	20.50	11.64*
2023-24	17.00	-	-

* संशोधित अनुमान राशि के जारी होने की प्रतीक्षा में, 5.0 करोड़ रुपये के प्रमुख उपकरणों और सेवाओं के लंबित बिल।''

4.18 आवंटन के उद्देश्य और उन शीर्षों, जिनके अंतर्गत आवंटन किया गया था, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन का उद्देश्य
	योजना	
1.	कार्यालय व्यय 3425.60.101.02.01.13	कार्यालय का किराया और उपयोगिता सेवाएँ)फोन ,बिजली ,आदि(, रिकरिंग व्यय , आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए कर्मचारी ,सामान्य लेखा परीक्षा ,सामान्य प्रशिक्षण व्यय आदि।
2.	मशीनरी और उपकरण)5425(4552.00.102.03.00.52	प्रयोगशाला/कार्यशाला आदि के लिए वैज्ञानिक उपकरण ,सामग्री की खरीद,
3.	मशीनरी और उपकरण)4552(4552.00.102.03.00.52	प्रयोगशाला/कार्यशाला आदि के लिए वैज्ञानिक उपकरण ,सामग्री की खरीद के लिए एनईआर निधि)10% जीबीएस के तहत(
4.	यात्रा व्यय 3425.60.101.02.01.11	आधिकारिक कर्तव्यों ,स्थानांतरण मामलों आदि पर कार्मिकों के यात्रा व्यय,
5.	विदेश यात्रा व्यय 3425.60.101.02.01.12	विदेशों में आधिकारिक कर्तव्यों पर कार्मिकों के यात्रा व्यय
6.	सूचान प्रौद्योगिकी 3425.60.101.02.99.13	आईटी से संबंधित उत्पादों आदि की खरीद , मरम्मत और रखरखाव,
7.	लघु कार्य 3425.60.101.02.01.27	मशीनरी उपकरण के अंशांकन और एएमसी और सीपीडब्ल्यूडी एम /डब्ल्यू
8.	भूमि और भवन)5425(5425.00.600.01.00.53	सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से नए बुनियादी ढांचे की स्थापनानिर्माण ,
9.	भूमि और भवन)4552(4552.00.102.03.00.53	सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से नए बुनियादी ढांचे की स्थापना ,निर्माण के लिए एनईआर निधि

4.19 पिछले वर्षों में पूंजीगत और राजस्व दोनों शीर्षों के अंतर्गत आवंटन और उपयोग के बीच मेल न होने के कारणों के संबंध में, विभाग ने निम्नवत बताया:

(मूल्य करोड़ रुपये में**)**

क्र.सं.	योजना	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	सं .अ. से प्रतिशत	कमी/अधिक व्यय के कारण
1.	**पूंजी शीर्ष)एमएंडई/एलएंडबी(**	2017-18	14.00	11.7	11.9	101.8	-
		2018-19	20.34	12.61	9.95	78.9	खरीद के तहत बोलियों का गैर-भौतिकीकरण (नॉन मैटीरियलाइजेशन),
		2019-20	16.50	4.92	1.37	27.9	खरीद के अंतर्गत मद का गैर-भौतिकीकरण एवं कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी, ,एनटीएच बिल्डिंगमुंबई को पूरा करने में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा देरी के कारण कम रिलीज हुई है।
		2020-21	10.40	4.95	4.47	90.3	कोविड-19 महामारी के कारण पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण व्यय में कमी आई।
		2021-22	11.55	4.05	3.24	80	प्रमुख उपकरणों के लिए निविदा इंक्रायरी नहीं की जा सकी क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान मांग की गई आवश्यकता के मुक़ाबले प्रस्ताव नॉन रिस्पोंसिव थे।
		2022-23	5.65	10.92	3.82	34.9	प्रमुख उपकरण जीसीएमएस इंपल्स वोल्टेज जेनरेटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है और भुगतान की प्रतीक्षा की जा रही है। एनईआर के लिए 10% जीबीएस राशि के अलावा पूरे निधि का उपयोग

							जीईएम के तहत ऑर्डर प्लेस के लिए एमई शीर्ष के तहत किया जाएगा।
		2023-24	6.45	-	-		
		औसत				68.9	
2.	**राजस्व शीर्ष)ओई , डीटीई/एफ़टीई , आईटी एंड एमडबल्यू(**	2017-18	6.00	5.30	5.24	98.9	लगभग पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया
		2018-19	8.66	7.39	6.93	93.8	लगभग पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया
		2019-20	8.50	6.71	6.71	100	लगभग पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया
		2020-21	9.60	9.05	8.84	97.7	महामारी की स्थिति के कारण सभी बैठकें वीसी के माध्यम से आयोजित की गईं। इसलिए ,आधिकारिक दौरे में डीटीई की राशि खर्च नहीं की गई और इसे बचत के रूप में माना गया और ₹0.35 करोड़ की राशि और एफ़टीई ₹0.05 करोड़ की राशि को संशोधित अनुमान के मुक़ाबले सरेंडर कर दिया गया।
		2021-22	11.95	9.45	9.17	97	लगभग पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया
		2022-23	9.10	9.58	7.54	78.8	लंबित बिल विभिन्न शीर्षों में प्रक्रियाधीन हैं। आईटी शीर्ष के तहत ई-ऑफिस प्रक्रियाधीन है और भु भुगतान की प्रतीक्षा की जा रही है। सीपीडब्ल्यूडी काम पूरा होने के चरण में है और पूरी राशि का उपयोग वित्त वर्ष 22-23 में किया जाएगा।
		2023-24	10.55	-	-		
		औसत				94.4	

4.20 विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निधियों के उपयोग की स्थिति निम्नवत बताई गई है:

''आज की स्थिति के अनुसार वर्ष 2022-23 में निधियों का उपयोग निम्नानुसार है।

क्र.सं.	योजना शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	टिप्पणियां
1.	कार्यालय व्यय 3425.60.101.02.01.13	4.5	3.9	3.76	बिजली बिल ,टेलीफोन बिल और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुक़ाबले भुगतान लंबित हैं और प्रक्रिया में हैं।
2.	यात्रा व्यय 3425.60.101.02.01.11	0.45	0.6	0.48	अधिकारियों के दौरे के बिल प्रक्रियाधीन हैं।
3.	विदेश यात्रा व्यय 3425.60.101.02.01.12	0.05	0.0	0.0	बचत होने की संभावना है।
4.	सूचान प्रौद्योगिकी 3425.60.101.02.99.13	0.5	1.21	1.05	ई-ऑफिस के लिए एनआईसीएसआई भुगतान प्रोसेस किया गया है ,अन्य भुगतान आईटी खरीद उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों आदि के लंबित बिलों के मुक़ाबले किया जाएगा।
5.	लघु कार्य 3425.60.101.02.01.27	3.6	3.87	2.24	सीपीडब्ल्यूडी को 3.0 करोड़ रुपये की राशि के लिए एलओए जारी किया गया है ,कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 22-23 तक उपयोग किए जाने की उम्मीद है
6.	मशीनरी और उपकरण)5425 (4552.00.102.03.00.52	3.92	8.97	3.50	प्रमुख उपकरण जीसीएमएस और इंपल्स वोल्टेज जेनरेटर रुपये के लिए पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। 5.0 करोड़ और पूरी राशि का उपयोग किया जाएगा। पूरक के अंतिम बैच में पूंजी शीर्ष की संशोधित अनुमान राशि प्राप्त की

					जाएगी।
7.	मशीनरी और उपकरण)4552 (4552.00.102.03.00.52	1.48	1.7	0.33	विद्युत प्रयोगशाला की स्थापना। प्रक्रियाधीन है, उपकरणों की खरीद के आदेश जीईएम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।
8.	भूमि और भवन)5425(5425.00.600.01.00.53	0.25	0.25	0.0	सीपीडब्ल्यूडी को 21 लाख रुपये की राशि के लिए एलओए जारी किया गया और इसके मार्च '23 तक उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

4.21 मंत्रालय ने एनटीएच के माध्यम से उत्पादों के परीक्षण और अंशांकन के मामले में सरकार के जनादेश को साकार करने या उसे फलीभूत करने में मदद करने के लिए किए गए उपायों के बारे में समिति को निम्नवत सूचित किया:

"एनटीएच गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं की सेवा करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है ,जो एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद विकसित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है और निर्माताओं को ऐसे उत्पाद बनाने में मदद करता है जो कुछ तकनीकी मानकों के भीतर विश्वसनीय हो। उत्पाद परीक्षण के माध्यम से एनटीएच लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई वस्तु सामान्य उपयोग के लिए सुरक्षित है। एनटीएच विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में भाग लेकर भी देश की सेवा कर रहा है। उनमें से कुछ ,जैसे 'वन नेशन ,वन फर्टिलाइज़र 'योजना के तहत एनटीएच देश भर में उर्वरक नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है। स्वच्छ गंगा परियोजना के तहत एनटीएच जल निकासी के परीक्षण की प्रक्रिया में है ,भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज के खंभों का नॉन डिस्ट्रकटिव परीक्षण ,और तमिलनाडु में आगामी नए पंबन ब्रिज ,प्रिसीजन अप्रोच पथ इंडीकेटर लाइट के "फोटोमेट्रिक के मापन और रंग विशेषताओं " जो विभिन्न हवाई अड्डों पर रनवे पर विमान की लैंडिंग के दौरान सही अप्रोच बनाए रखने में मदद करती है ,जम्मू-कश्मीर में नवनिर्मित चिनाब रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट में वेल्डिंग और वेल्डर का प्रमाणन ,मेसर्स तमिलनाडु टेस्ट बुक स्कूल कॉर्पोरेशन ,चेन्नई, के लिए टेस्ट बुक सैंपल का परीक्षण किया गया। सभी सरकारी विभागों ,सीएबी ,और पीएसयू आदि की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "परीक्षण और अंशांकन सेवा "श्रेणी में, एनटीएच विभिन्न राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं को समर्पित सेवाएं प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के पुलों ,सड़क और राजमार्गों ,हवाई अड्डे ,इस्पात संयंत्रों ,रिफाइनरियों ,बिजली संयंत्रों ,रेलवे परियोजनाओं ,प्लास्टिक और वस्त्र उत्पादों का परीक्षण, पीने के पानी का गुणवत्ता परीक्षण सहितवैज्ञानिक , परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन करता है।एनटीएच अब इसे एकल उपयोगकर्ता से लेकर हाइ एंड बहुउपयोगकर्ता उत्पादों तक उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण के केंद्र के रूप में बनाने की दृष्टि से और विस्तार करने के लिए तैयार है और जो उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करेगा ,इसके उद्देश्य को पूरा करेगा और उद्योग संबंधी मानकों को पूरा करेगा।"

4.22 वर्ष 2023-24 के निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में इन्हें प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना के संबंध में, विभाग द्वारा समिति को निम्नवत बताया गया है:

"प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भौतिक और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार बड़ी खरीद के लिए क्षेत्रवार योजना नीचे दी गई है।

प्रमुख वित्तीय और भौतिक लक्ष्य:

(राशि करोड़ में(

लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2023-24	प्रमुख भौतिक लक्ष्य
योजना	17.00	• प्रयोगशालाओं के मौजूदा उपकरणों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए। भारतीय मानकों और नई सुविधाओं आदि के अनुसार पूर्ण परीक्षण सुविधा का सृजन। • एनटीएच)डब्ल्यूआर(, मुंबई और ईआर, कोलकाता में ईवी बैटरी परीक्षण सुविधाएं • जयपुर में ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधा • एनईआर क्षेत्र के लिए ट्रांसफार्मर ,केबल और अन्य विद्युत घटकों के परीक्षण के उद्देश्य से एनटीएच) एनईआर(, गुवाहाटी में एक विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण। • एनटीएच) एनआर(, गाजियाबाद में ड्रोन परीक्षण सुविधा • वाराणसी प्रयोगशाला का विकास एवं प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार। एनटीएच वाराणसी में पेपर ,प्लास्टिक , रबर और कपड़ों के उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रासायनिक प्रयोगशाला पैके बंद पेयजल का विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करेगी। • सभी एनटीएच प्रयोगशालाएँ उर्वरक नमूनों की उपलब्ध सेवाओं और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उर्वरक नाइट्रोजन विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वचालित नाइट्रोजन डिफ्यूज़र जैसे उपकरणों की खरीद करेंगी। • परीक्षण क्षमताओं में सुधार करने और अधिक समकालीन परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए ,एनटीएच) ईआर(, कोलकाता की यांत्रिक प्रयोगशाला को एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन) यूटीएम (से युक्त बनाया जाएगा ,जिसकी क्षमता2000 केएन है और यांत्रिक गुणों जैसे कि टेनसाइल, फ्लेक्सुरल, कंप्रेसिव और शियर परीक्षण कर सकती है। • ई-ऑफिस कार्यान्वयन के लिए ,नए एमआईएस एप्लिकेशन का विकास ,आईटी कनसलटैंट की भर्ती ,ई-साइन समाधान ,मौजूदा आईटी सिस्टम की मरम्मत का रखरखाव आदि।

		• बिजली बिल ,टेलीफोन बिल और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुक़ाबले भुगतान ,आवर्ती व्यय, आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए कर्मचारी ,सामान्य लेखा परीक्षा ,सामान्य प्रशिक्षण व्यय आदि।

*नोट :वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य आवंटित बजट अनुमान राशि से अधिक होगा ,जिसके लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी ,जो निधि की उपलब्धता के अधीन होगी।

4.23 विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया कि वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर की स्थापना और कमीशनिंग का काम पूरा हो गया है और विभिन्न विनिर्माताओं से नमूने प्राप्त हो गए हैं और फरवरी 2023 में टेस्टिंग शुरू हो गयी है।

4.24 विभाग ने समिति को आगे सूचित किया**:**

"एनटीएच, कोलकाता और मुंबई में ईवी बैटरी परीक्षण सुविधाओं के प्रस्ताव, गाजियाबाद में ड्रोन परीक्षण सुविधा और जयपुर, राजस्थान में ट्रांसफार्मर परीक्षण परियोजना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान योजना बनाई गई है, बशर्ते कि वित्त मंत्रालय द्वारा 52.84 करोड़ रुपये की राशि के लिए पूंजीगत बजट की उपलब्धता हो।''

4.25 वास्तविक बजट आवंटन के लिए उठाए गए कदमों या प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे गए प्रश्न पर विभाग ने उत्तर दिया:

"आवंटित बजट के समुचित उपयोग के लिए नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया गया। परियोजनाओं और उपकरणों की खरीद के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने पर ध्यान देने के साथ पिछले वर्ष की व्यय रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद उचित कार्रवाई की गई। व्यय करने में प्रमुख बाधा विभिन्न हाई मूल्य वाले उपकरणों की स्थापना और चालू करने में विलंब के कारण थी। साथ ही एनईआर में 10% जीबीएस के तहत निधियों का उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण निधि उपयोग प्रभावित हुआ। यह आवश्यक योजना हाल ही में पूरी की गई थी और विकास चल रहा है। साथ ही वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के इंटर्न को आधुनिक परीक्षण तकनीकों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, एनटीएच, कोलकाता और मुंबई में ईवी बैटरी परीक्षण सुविधा, गाजियाबाद में ड्रोन परीक्षण सुविधा, जयपुर, राजस्थान में ट्रांसफार्मर परीक्षण परियोजना, 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' स्कीम के तहत उर्वरक नमूनों के परीक्षणऔर स्वच्छ गंगा परियोजना के तहत जल निकासी

के पानी का परीक्षण, सहित नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी।''

4.26 27 फरवरी, 2023 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नवत बताया:

"यह विशेषकर रेल सिस्टम में जो मैकेनिकल सिस्टम पहले यूज होते थे, उसकी टेस्टिंग के लिए था। उत्तर भारत में ब्रिटिश सरकार ने रेल नेटवर्क बनाया था। उसमें प्रयुक्त होने वाला समान स्टैन्डर्ड के अगेंस्ट कैसे टेस्ट किया जाए, यह प्राइमरली उसके लिए था। किन्तु धीरे-धीरे इसका फैलाव होता गया। पानी या प्लास्टिक या जितनी भी चीजें हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए होता है। कुछ लैब अत्याधुनिक हैं। मैंने गुवाहाटी, मुंबई और कई अन्य जगहों की प्रयोगशालाओं का दौरा व्यक्तिगत रूप से किया है। हम चाहते हैं कि इन्हें शीर्ष स्तर का बनाया जाए, इससे जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, जैसे हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सी बी आई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जब इनको कोई शिकायत मिलती है और कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये भी टेस्टिंग के लिए एनटीएच के पास भेजते हैं और एनटीएच के रिजल्ट पर ही ये इन्वेस्टिगेशन का फैसला देते हैं, वह डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट सही था या खराब था। एनटीएच का सुदृढ़ीकरण बहुत आवश्यक है।

एनटीएच को हमने स्क्ट ऑरबिट में भी लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी हैं, इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, उनकी बैटरी की टेस्टिंग की फेसिलिटी एनटीएच में डेवलप कर रहे हैं। हमने इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है। अगर उसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हुई तो – हम वित्त विभाग से संपर्क करेंगे। उसके साथ नॉन-मिलिट्री सिविलयन ड्रोन, एग्रीकल्चर इत्यादि में यूज होते हैं, उनकी भी टेस्टिंग अभी दो-तीन प्राइवेट लोगों के हाथ में है और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। यह शिकायत हमारे पास आई थी। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमसे अप्रोच किया कि अगर सरकार के सिस्टम में यह व्यवस्था हो, ड्रोन के पार्ट्स की टेस्टिंग थोड़ा सस्ती हो जाए, स्टार्ट-अप या कृषि क्षेत्र में जो ड्रोन यूज हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट में भी फर्क पड़ेगा, इसके लिए भी हम मुंबई और कोलकाता में फेसिलिटी तैयार कर रहे हैं।

उत्तर पश्चिमी भारत में ट्रांसफर की टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान ने हमको फ्री में लैंड एलॉट कर दिया है। एक्सक्लूसिव ट्रांसर्फमर के लिए लैब वहां बनाने जा रहे हैं। उद्योग को अपने इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा ट्रैवल न करना पड़े जिससे उसकी इकोनॉमिक कास्ट न बढ़े। "

4.27 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण, माप उपकरणों/यंत्रों और उपकरणों के अंशांकन के क्षेत्र में काम करता है। समिति आगे पाती है कि वित्त वर्ष 23-24 में एनटीएच द्वारा 52.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन आवश्यकता होगी। ताकि एनटीएच द्वारा एनटीएच, कोलकाता और मुंबई में ईवी बैटरी परीक्षण सुविधाओं, गाजियाबाद में ड्रोन परीक्षण सुविधा, जयपुर, राजस्थान में ट्रांसफार्मर परीक्षण परियोजना, 'वन नेशन' वन फर्टीलाइजर्स के अतंर्गत उर्वरक नमूनों के परीक्षण सहित स्वच्छ गंगा परियोजना के अंतर्गत एक उर्वरक योजना और जल निकासी के पानी का परीक्षण, नई परियोजनाओं को शुरू किया जा सकें। समिति का विचार है कि एनटीएच अपनी तरह का एक ऐसा संगठन है जो प्रामाणिक परीक्षण सुविधा प्रदान करता है जिसका उपयोग सरकारी संगठनों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के ग्राहकों द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए, समिति चाहती है कि एनटीएच के रास्ते में धन की कमी नही आनी चाहिए जो उपरोक्त उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। देश भर में एनटीएच प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए एनटीएच को पर्याप्त धन उपलब्ध हो सुनतिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, समिति मंत्रालय से नागरिकों के बीच एनटीएच के कार्य को लोकप्रिय करने के लिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने और एनटीएच के कार्य से परिचित कराने के लिए छात्रों के दौरे की व्यवस्था करने का आग्रह करती है।

अध्याय-पांच

मूल्यों की निगरानी और स्थिरीकरण

विभाग ने सूचित किया कि

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए तथा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है।

5.2 विभाग ने यह भी सूचित किया है कि

मूल्य निगरानी प्रभाग केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं नामत: मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के तहत यह विभाग 22 आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों को 461 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों से मोबाइल ऐप अर्थात् मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) के माध्यम से एकत्र करता है। ये दैनिक कीमतें मूल्य वृद्धि को कम करने, बाजार में हस्तक्षेप, आयात-निर्यात शुल्कों को प्रतिबंधित करने और मौद्रिक नीति को कैलिब्रेट करने के लिए निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का प्रदान करती है। जबकि मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, सरकार कृषि-बागवानी वस्तुओं जैसे प्याज, आलू और दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए करती हैं। का निर्माण करती है। बफर स्टॉक का निर्माण न केवल प्रभावी बाजार हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने और ट्रैजेक्टरी से बाहर जाने के रूप में कीमतों को सुधारने में सक्षम बनाता है, बल्कि सट्टा गतिविधियों पर भी अंकुश लगाता है। इसके अलावा, इन वस्तुओं को हार्वेस्टिंग के समय किसानों/किसान संघों से खरीदा जाता है जो किसान के आर्थिक भाग्य में वृद्धि करता है।

5.3 प्रारंभ में, मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) को देश के 18 केंद्रों में 14 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। पीएमडी द्वारा निगरानी की जा रही 22 वस्तुओं में पांच मद समूह में शामिल हैं, अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पॉम तेल), सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य मदें (आटा, चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक)।

5.4 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संबंध में डेटा संग्रह के तंत्र और वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में अंतर के कारणों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

"उपभोक्ता मामले विभाग राज्योंर/संघ राज्य क्षेत्रों में 461 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों ने पीएमएस मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक मूल्य प्रस्तुत किए। खुदरा मूल्य तीन दुकानों/बाजारों से लिए जाते हैं और औसत बताया जाता है जबकि थोक मूल्य एक बाजार से एकत्र किए जाते हैं। नए मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान (सं.अ.) को 1.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (ब.अ.) से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"

बजट आबंटन

5.5 विभाग ने पिछले 5 वर्षों के ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय के संबंध में निम्नवत बताया:

(लाख रुपये में)

वर्ष	ब.अ	सं.अ.	वास्तविक व्यय	सं.अ. का %
2018-19	200	200	199.01	99.5
2019-20	200	160	137.36	85.9
2020-21	200	100	98.90	98.9
2021-22	200	150	143.81	95.9
2022-23	150	300	**217.00** **(20.02.23 की स्थितिनुसार)**	**72.3**
2023-24	600			

1. मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र

5.6 विभाग ने समिति को 2023-24 के लिए प्रस्तावित आवंटन का उपयोग करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में भी निम्नवत सूचित किया है:

> "मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या 2021-22 में 178 से बढ़कर 2022-23 (आज तक) में 461 हो गई है और विभाग ने देश के सभी जिलों को कवर करने का निर्णय लिया है। केंद्रों के कामकाज के लिए इन मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों को लगभग 2.99 लाख रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए आवंटित राशि का पूरा उपयोग किया जाएगा"।

5.7 समिति को एक लिखित उत्तर में भी सूचित किया गया था:

> "...विभाग ने देश के सभी जिलों को कवर करने का फैसला किया है। इन मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों को उनके कार्यकरण के लिए प्रति वर्ष लगभग 2.99 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपरोक्त के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान को बढ़ाकर क्रमशः 3.00 करोड़ रुपये और 6.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2022-23 के संशोधित अनुमान में 3.00 करोड़ रुपये और 2023-24 के बजट अनुमान में आवंटित 6.00 करोड़ रुपये का पूरा उपयोग किया जाएगा।

बाजार आसूचना के संबंध में विभाग ने समिति को सूचित किया:

"विभाग ने देश के सभी जिलों को मूल्य केंद्रों के साथ कवर करने का निर्णय लिया है और अकेले 2022-23 के दौरान (14.02.2023 तक) 282 नए मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र जोड़े गए हैं। नियमित बाजार आसूचना फीडबैक और मूल्य पूर्वानुमान के लिए, विभाग ने 21.12.2020 से एक पेशेवर बाजार आसूचना संगठन एग्रीवॉच को नियुक्त किया है। एग्रीवॉच के साथ साप्ताहिक बातचीत में कृषि और किसान कल्याण विभाग, नेफेड और एनसीसीएफ जैसे अन्य विभागों/संगठनों ने भाग लिया है। मूल्य रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, 01.01.2021 से मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जियो-टैगिंग और औसत खुदरा गणना की अंतर्निहित विशेषता वाले दैनिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सके जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो।"

5.8 समिति नोट करती है कि 1998 **में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्थापित मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) चयनित खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ पांच वस्तुओं की** 22 **खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और अन्य बाधाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। समूह यानी अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम का तेल), सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य सामान (आटा, चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक)। पिछले** 5 **वर्षों के दौरान, संशोधित अनुमानों (आरई) के आंकड़ों का औसतन** 90.5% **उपयोग किया गया और** 2023-24 **के लिए बीई 600 लाख रुपये केन्द्रों के कार्यक्रम के लिए लगभग 2.99 लाख रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किए गए हैं। समिति यह भी नोट करते हैं कि मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों (पीआरसी) की संख्या** 2021-22 **में** 178 **से बढ़कर** 2022-23 **में** 461 **हो गई है और विभाग ने देश के सभी जिलों को कवर करने का निर्णय लिया है। इसलिए, समिति चाहती है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए उन्हें योजना की समीक्षा करे।**

2. मूल्य स्थिरीकरण कोष

5.9 समिति को सूचित किया गया है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना ₹500 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं यथा प्याज, आलू और दाल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। इन वस्तुओं को कटाई के समय किसानों/किसान संघों से खरीदा जाता है और उनकी कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए कम पैदावार के मौसम के दौरान विनियमित रूप से जारी करने के लिए संग्रहित किया जाता है। सरकार द्वारा इस तरह के बाजार हस्तक्षेप से न केवल उचित बाजार संकेत भेजने में मदद मिलेगी बल्कि सट्टा/जमाखोरी गतिविधियों को भी रोका जा सकेगा।प्रारंभ में, निधि का उपयोग केवल शीघ्र खराब होने वाली कृषि-बागवानी ऐसी कृषि वस्तुओं जैसे प्याज और आलू – जिनकी कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव दिखाई देता था, के मामले में बाजार हस्तक्षेप के लिए किया जाना था। इसके बाद दालों को भी इस दायरे में लाया गया। पीएसएफ के अंतर्गत, केंद्रीय एजेंसियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/एजेंसियों को इस तरह के बाजार हस्तक्षेप करने के लिए ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी अग्रिम

प्रदान किया जाता है। पीएसएफ के अंतर्गत किसानों/थोक मंडियों से घरेलू खरीद के अलावा आयात भी किया जा सकता है।

5.10 इस संबंध में विभाग ने आगे यह बताया कि-

"सरकार के निर्णय के अनुसार, पीएसएफ उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) में 1 अप्रैल, 2016 से स्थानांतरित कर दिया गया था। । मूल्य स्थिरीकरण संचालन कार्यों का निर्धारण केंद्रीय स्तर पर मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) द्वारा किया जाता है, जिसे योजना के हस्तांतरण पर पुनर्गठित किया गया था और अब इसकी अध्यक्षता उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव कर रहे हैं। कॉर्पस कोष का प्रबंधन स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) द्वारा किया जाता है। पीएसएफ कॉर्पस से अधिशेष के निवेश के लिए एक उप-समिति भी है जो वित्तीय सलाहकार, एम/ओ सीए, एफएंडपीडी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अब तक पुनर्गठित पीएसएमएफसी की 57 बैठकें हो चुकी हैं। सरकार के पास उपलब्ध बफर स्टॉक से भी व्यापारी जमाखोरी करने और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करता है।

5.11 पिछले 5 वर्षों के पीएसएफ के ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय निम्नवत हैं:

(**करोड़ रुपए में**)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2018-19	1500	1500	1500
2019-20	2000	1820	1713
2020-21	2000	11800	11135.30
2021-22	2700	2250	2030.83
2022-23	1500	0.01	0
2023-24	0.01	-	-

5.12 पीएसएफ के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए नगण्य आवंटन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत बताया:

"13 फरवरी, 2023 की स्थितिनुसार पीएसएफ कॉर्पस में 5,925 करोड़ रुपये की राशि अधिशेष है। आशा है कि 2023-24 के इस वित्तीय वर्ष के पीएसएफ संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह शेष राशि पर्याप्त होगी। 2023-24 में 0.01 करोड़ (टोकन राशि) का बजट आवंटन हुआ है। यह नोट जाए कि इस स्तर पर उपभोक्ता मामले विभाग की पीएसएफ योजना और कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) की मूल्य स्थिरीकरण योजना (पीएसएस) की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। प्रस्तावित विलय के अनुसार पीएसएफ योजना का भाग्य तय होने के बाद ही फंड की आवश्यकताओं पर निर्णय लिया जाएगा।

5.13 पीएसएस और पीएसएफ के विलय की नवीनतम स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामले विभाग ने समिति को बताया:

"योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना कार्यनीतिक बाजार हस्तक्षेपों के लिए की गई है ताकि कृषि-बागवानी वस्तुओं,नामत: दालों और सब्जियों जैसे प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके। जब प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से कम होता है, और जब मौजूदा मूल्य एमएसपी से अधिक होता है तब भी बाजार मूल्य पर भी एमएसपी पर किसानों से खरीद कर दालों का बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। बफर के लिए, घरेलू बाजार में स्टॉक उपलब्ध नहीं होने पर आयातित स्टॉक की खरीद की भी अनुमति है। बफर स्टॉक की मात्रा बेईमान व्यापारियों के लिए एक निवारक के रूप में और साथ ही मूल्य अस्थिरता को स्थिर करने के लिए बाजार में जारी करके कार्यनीतिक बाजार हस्तक्षेप के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है। बाजार निपटान के अलावा, कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को और सेना/सीएपीएफ को भी बफर से दालों की आपूर्ति की जाती है। रबी फसल की कटाई के दौरान किसानों/एफपीओ से खरीद कर प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। इस अवधि के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए रबी फसल की आवक और खरीफ फसल की आवक, अगस्त से नवंबर/दिसंबर के बीच कम उत्पादन वाले महीनों के दौरान स्टॉक जारी किया जाता है। प्रमुख खपत केंद्रों में कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से लक्षित और कैलिब्रेटेड रिलीज की जाती है। पीएसएफ के तहत 2022-23 के दौरान 2.51 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद कर उसका निस्तारण किया गया। पीएसएफ के लिए वार्षिक बजटीय सहायता पीएसएफ कॉर्पस निधि में स्थानांतरित कर दी जाती है और स्टॉक की खरीद, भंडारण और निपटान से जुड़े मूल्य स्थिरीकरण कार्यों को कॉर्पस निधि से निकालकर वित्त पोषित किया जाता है। शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय को कॉर्पस निधि में वापस लगाया जाता है।

नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सिफारिश की कि मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को एक मंत्रालय के अधीन लाया जा सकता है। इस संबंध में, उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के बीच अंतर-मंत्रालयी परामर्श ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

i. पीएसएस और पीएसएफ योजनाओं को मिलाकर एक मंत्रालय अर्थात डीएएफडब्ल्यू द्वारा लागू की जाने वाली मूल्य समर्थन और बफर प्रबंधन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करना।

ii. उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहने के लिए बफर मानदंडों और प्रबंधन से संबंधित कार्यप्रणाली।

iii. संयुक्त योजना को ईएफसी मूल्यांकन और कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

iv. कैबिनेट से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक, पीएसएस और पीएसएफ को लागू करने के लिए यथास्थिति बनाए रखी जाएगी और पीएम-आशा के लिए 30.09.2023 तक विस्तार की मांगा की जाएगी ताकि आगामी रबी सीजन के दौरान दलहन और तिलहन की खरीद में बाधा न आए।"

5.14 मौखिक साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधियों ने निम्नवत बयान दिया:

"कई बार एक प्रश्न यह उठता है कि हमारा बीई से इतना कम कैसे हो गया, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान मूल्य स्थिरीकरण निधि का था, लेकिन हमारा जो मूल्य स्थिरीकरण निधि की कायिक निधि है, वह लगभग 5,800 करोड़ ऑलरेडी हमारे पास है। उसमें से जो पल्सेज और प्याज का बफर है, उसकी खरीद हम करते हैं और जब बेचते हैं, तो उससे वह वापस रीकूप होता है। इसीलिए हमारी वित्तविभाग के साथ यह सहमति है कि जब भी हमें 5800 करोड़ रुपये से अधिक आवश्यकता होगी, तो वे हमें पैसा दे देंगे। अभी हमारे पास लगभग 5800 करोड़ रुपये से ऊपर की कायिक निधि है, इसलिए इस वर्ष जो 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसको उन्होंने नोशनल एक लाख कर दिया है। पैसे की कोई कमी नहीं है। इस वर्ष भी हमने बहुत सारी दालों का प्रोक्योरमेंट और ढाई लाख टन प्याज का प्रोक्योरमेंट किया है। आपने कल-परसों पढ़ा होगा कि नासिक के पास प्याज की कीमतें काफी कम हो गयी थीं। नेफेड के माध्यम से हमने तुरंत इंटरवेंशन कराकर खरीद शुरू कर दी है। चूंकि खरीफ की प्याज केवल एक महीने तक ही रख सकते हैं, इसलिए जिन-जिन क्षेत्रों में कीमतें ज्यादा हैं, उन्हें हम वहां बेच रहे हैं। हमारा जो असली प्याज का प्रोक्योरमेंट होगा, वह रबी की फसल से होगा, जो 15 मार्च से आएगी। इसके बाद जब वह थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो हम अप्रैल से उसे इकट्ठा करके ढाई लाख टन अपने बफर में रखते हैं और जहां-जहां कीमतें ज्यादा होती हैं, वहां सेल करते हैं।

मैडम, इसीलिए भारत के किसी भी भाग में पिछले वर्ष प्याज की कीमतो में 30-35 रुपये से ज्यादा रिटेल में प्राइस नहीं बढ़े, जबकि पूर्व के वर्षों, मुख्यत: फरवरी के एंड और मार्च के पहले सप्ताह या अगस्त, सितंबर में कई बार यह देखा गया कि 70 या 80 रुपये कीमत भी हो जाती थी। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष प्याज की कीमतें बफर की वजह से ही स्टेबल रहीं। इसका एक ग्राफ है, जिसे मैं आपकी अनुमति से दिखाना चाहता हूं। इस ग्राफ में हमने यह नोटिस किया है कि जब बफर हमारे पास होता है, तब कीमतों में स्पाइक नहीं होता है। जैसे कि वर्ष 2019 में बफर नहीं था, तो पहला शूट-अप 90 से 100 रुपये के बीच चला गया, फिर हमने थोड़ा बफर वर्ष 2020 में किया, तो कीमतें 60 रुपये तक गयीं। उसके बाद हमने माननीय मंत्रीगण की समिति, जिसके माननीय गृहमंत्री जी अध्यक्ष हैं, की अनुमति लेकर ढाई लाख टन का बफर किया। इससे मार्केट को एक सिग्नल मिलता है कि सरकार के पास बफर है और अगर किसी ट्रेडर ने किसी गलत धारणा से दाम बढ़ाया, तो सरकार उसे मार्केट में इन्फ्यूज कर देती है। अत: प्राइसेज डिमांड सप्लाई के अतिरिक्त सेंटीमेंट से भी

गवर्न होती हैं, खासतौर पर कमोडिटीज की। अत: यह एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट सामने आया। यही चीज दालों में भी हुई है और इस वर्ष दालों की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं होगी। ”

PRICE STABILIZATION FUND

5.15 समिति नोट करती है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना ₹500 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी ताकि कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं अर्थात प्याज, आलू और दालें जिससे की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटा जा सके। ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके । सरकार के निर्णय के अनुसार, पीएसएफ को उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) में 1 अप्रेल 2016 से स्थानांतरित कर दिया गया था। सरकार के कोष से सृजित बफर स्टॉक व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और बेईमान अटकलों को हतोत्साहित करता है। 13 फरवरी, 2023 तक पीएसएफ कॉर्पस में 5,925 करोड़ रुपये की राशि भी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएडएफडब्ल्यु) द्वारा संचालित मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) द्वारा संचालित मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को एक मंत्रालय के अंतर्गत लाने की दृष्टि से डीओसीए, डीए एंड एफडब्ल्यू और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के बीच अंतर-मंत्रालयी परामर्श चल रहा है। इस बीच रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएसएफ को 0.01 करोड़ रुपये की टोकन राशि आवंटित की गई हैं। इसके अलावा, अंतर मंत्रालयी परामर्श ने पीएसएस और पीएसएफ योजनाओं को मिलाकर मूल्य समर्थन और बफर प्रबंधन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने का निर्णय किया है, जिसे एक ही मंत्रालय यानी डीएएफडब्ल्यू द्वारा लागू किया जाएगा, बफर मानदंडों और प्रबंधन से संबंधित कार्य प्रणाली डीओसीए प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगी। संयुक्त योजना को ईईसी मूल्यांकन और कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अंतर-मंत्रालयी परामर्श ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक कैबिनेट से अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक पीएसएस और पीएसएफ को लागू करने के लिए यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक हन अभियान (पीएम-आशा) के लिए 30.09.2023 तक विस्तार की मांग की जा सकती है। ताकि आगामी रबी सीजन के दौरान दलहन और तिलहन की खरीद बाधित न हो। समिति चाहती है कि इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लिया जाए ताकि सरकार कीमतों में किसी भी संभावित उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार रहे और समिति को इस विषय में हुई प्रगति से अवगत कराया जा सके।

अध्याय – पांच

उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार) कार्यक्रम

1. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार)

समिति को सूचित किया गया कि उपभोक्ता जागरूकता योजना के अंतर्गत आउटरीच और संचार ब्यूरो (बीओसी)/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), आकाशवाणी (एआईआर), दूरदर्शन (डीडी), और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि जैसे अन्य संगठनों के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया के रूप में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत, स्थानीय विषयों पर आधारित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भी निधियाँ जारी की जाती हैं। इन निधियों का उपयोग नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों, स्थानीय प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मेलों/त्योहारों में भी भाग लेता है कि ऐसे मेले/उत्सव ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग सक्रिय रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है। विभाग उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पोस्टरों का प्रदर्शित करने के क्रम में देश भर के सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग कर रहा है। स्क्रॉल संदेश, लैपटॉप ब्रांडिंग, मग ब्रांडिंग, दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों पर समाचार रिपोर्ट कैप्शन के माध्यम से अभिनव अभियान चलाए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम (एसआरपी) और जागरुकता पैदा करने के लिए बिना पूर्व तैयारी के बनए गए विज्ञापन (आरजे द्वारा संदेश) ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

6.2 विभाग ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि योजना के एक भाग के रूप में, विभाग "जागो ग्राहक जागो" नाम से देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है, जो 2006 में शुरू हुआ था। सरल संदेशों के माध्यम से, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के तरीकों और समस्याएं और निवारण के लिए तंत्र से अवगत कराया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता योजना के अंतर्गत आईईसी गतिविधियों की पूरी कार्यनीति नीति एक प्रभावी और गहन उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने के लिए तैयार की गई है ताकि शहरी, अर्ध-शहरी और साथ ही ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके।

बजटीय आवंटन

6.3 पिछले 6 वर्षों के दौरान मुख्य शीर्ष 3456 अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता का ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
18-2017	62.00	62.00	61.78
19-2018	70.00	60.00	58.90
20-2019	62.00	40.00	33.89
21-2020	60.00	42.50	42.25
22-2021	44.50	23.00	22.99
23-2022	25.00	17.50	14.91(20.02.2023 की स्थितिनुसार)
24-2023	17.99		

6.4 उपभोक्ता जागरूकता के लिए पिछले वर्षों में अनुमान से कम खर्च करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामले विभाग ने निम्नलिखित बताया:

क्र.सं.	वर्ष	कारण
1	19-2018	सभी निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया।
2	20-2019	डिजिटलीकरण में वृद्धि के कारण, इस वर्ष के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग करके उपभोक्ता जागरूकता के लिए शून्य लागत प्रसार का उपयोग बढ़ा, जिससे पारंपरिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बाहरी मीडिया का उपयोग कम हुआ।
3	21-2020	सभी निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया।
4	22-2021	सभी निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया।

5	23-2022	सभी निधियों का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

6.5 उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के मामले में सरकार के अधिदेश को साकार करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

"उपभोक्ता जागरूकता योजना के तहत केंद्रीय संचार ब्यूमरो (सीबीसी)/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), आकाशवाणी (एआईआर), दूरदर्शन (डीडी), और अन्य संगठन जैसे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी), कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) आदि के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस योजना के तहत, स्थानीय विषयों पर आधारित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को निधि भी जारी की जाती है। इन निधियों का उपयोग नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्थानीय प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में विज्ञापनों के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मेलों/त्योहारों में भी भाग लेता है क्यों कि ऐसे मेले/उत्सव में बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग सक्रिय रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है। विभाग ने उपभोक्ता जागरूकता पर पोस्टर प्रदर्शित करके देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग किया है। दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों पर स्क्रॉल संदेश, लैपटॉप ब्रांडिंग, मग ब्रांडिंग, समाचार रिपोर्ट कैप्शन के माध्यम से अभिनव अभियान चलाए गए हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम (एसआरपी) और जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन परिवाद (आरजे द्वारा संदेश) ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर प्रसारित किए जा रहे हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए "जागृति" लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर लाकर, उपभोक्ता मामले विभाग का उद्देश्य डिजिटल और मल्टीमीडिया में अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना है और एक युवा सशक्त और सूचित उपभोक्ता को उपभोक्ता अधिकार जागरूकता रिकॉल ब्रांड के रूप में मजबूत करना है।"

6.6 वर्ष 2023-24 के दौरान 17.99 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधि से प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्यों के बारे में, विभाग द्वारा समिति को निम्नवत बताया गया:

"विभाग विशेष रूप से देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर प्रचार और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न मीडिया का उपयोग करके एक समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहता है। प्रसार भारती, केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया के रूप में पारंपरिक मीडिया अभियान चलाए जाएंगे। विभाग सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से मशहूर हस्तियों को शामिल करके विभिन्न उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर आकर्षक इन्फोग्राफिक्स, जीआईएफ और वीडियो तैयार करना चाहता है। इसके अलावा, विभाग विभिन्न बड़े मेलों, त्योहारों और कार्यक्रमों में भाग लेगा और क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता भी करेगा।"

6.7 समिति नोट करती है कि उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के अतंर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), आल इंडिया रेडियो (एआईआर) दूरदर्शन (डीडी), और अन्य संगठन जैसे भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि के माध्यम से और इलैक्ट्रोनिक प्रिंट के रूप में आउटडोर और सोशल मीडिया के रूप में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग उपभोक्ता जागरूकता फैलाने करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है और उपभोक्ता जागरूकता पर पोस्टर प्रदर्शित करके देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग कर रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम (एसआरपी) और जागरूकता फैलाने करने के लिए विज्ञापन एलआईबीएस (आरजे द्वारा संदेश) आकाशवाणी (एआईआर) पर प्रसारित किए जा रहे हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक शुभंकर "जागृति" लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर लाकर, डीओसीए का उद्देश्य डिजिटल और मल्टीमीडिया में अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना है और एक युवा सशक्त और सूचित उपभोक्ता को उपभोक्ता अधिकार जागरूकता रिकॉल ब्रांड के रूप में मजबूत करना है। समिति यह जानकर खुश है कि विभाग देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है जो लंबे समय से दरकिनार कर दिए गए हैं। समिति उत्तर-पूर्वी राज्यों में जागरूकता कार्यक्रमों के प्रसार में विभाग के प्रयासों की सराहना करती है और आगे इच्छा करती है कि जागरूकता अभियान में विशेष रूप से विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे उपभोक्ता संरक्षण, बाट और माप, आभूषणों की हॉलमार्किंग, परीक्षण और अंशांकन, मूल्य निगरानी और स्थिरीकरण आदि जैसी विभाग की विभिन्न योजनाओं मे विशेषकर किया

जाए। स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों और किसान समूहों और आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल कर उल्लेख किया जाना चाहिए ।

2. उपभोक्ता कल्याण कोष

6.8 कोष बनाए जाने के समय और निधियों के स्रोतों के ब्योरे के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामले विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

उपभोक्ता कल्याण कोष (सीडब्यूएफ) 2010-11 से निधि जारी कर रहा है। उपभोक्ता कल्याण कोष एक सार्वजनिक कोष है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से निम्नवत से अर्जित किया गया है:

(i) वह राशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वापस नहीं की जा सकी; और बाद में 2017 में सीजीएसटी।

(ii) एनसीडीआरसी द्वारा लगाया गया जुर्माना

तदनुसार, 1992 में उपभोक्ता कल्याण कोष नियम तैयार किए गए और भारत के राजपत्र में और अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें जीएसटी अधिनियम की शुरुआत के बाद सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 97 में शामिल किया गया है। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 57 के तहत की गई है।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 97(4) के तहत, उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है, जो उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा धन के उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी। सीडब्ल्यूएफ नियमों द्वारा सशक्त, स्थायी समिति ने उपभोक्ता कल्याण कोष के प्रबंधन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं जो कि संशोधन के अधीन है।

उपभोक्ता कल्याण कोष का संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपभोक्ता कल्याण कोष (सीडबल्यूएफ़) एक सार्वजनिक कोष है और संसद में स्वीकृत नहीं है।

6.9 विभाग ने अपने लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया है कि जो धन विनिर्माताओं आदि को वापस नहीं किया जाता है, उसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कर दिया जाता है। उपभोक्ता कल्याण कोष नियम 1992 में

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अंतर्गत 1991 में इसमें हुए संशोधन के अनुसरण में तैयार और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अधिनियमन पर, इसकी धारा 57 के अंतर्गत उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई। सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 97 उपभोक्ता कल्याण कोष से संबंधित है।

6.10 आगे यह बताया गया कि स्थायी समिति के निर्णयों के आधार पर, सीडब्ल्यूएफ़ द्वारा भारत में उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों/सरकारी निकायों, विश्वविद्यालयों सहित संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

6.11 आज तक कोष में प्रवाहित होने वाली राशियों के स्रोतों के नाम के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया:

उपभोक्ता कल्याण कोष एक सार्वजनिक कोष है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से निम्नवत से अर्जित किया गया है:

(i) वह राशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वापस नहीं की जा सकी; और बाद में 2017 में सीजीएसटी।

(ii) एनसीडीआरसी द्वारा लगाए गए जुर्माने

6.12 पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, औसतन 87.6% संशोधित अनुमानों (आरई) का उपयोग किया गया है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	सं.अ. का %
2018-19	193500	178500	178163	99.8
2019-20	195000	195000	190958	97.9
2020-21	2610000	2610000	229201	8.7
2021-22	2635000	2635000	370018	14
2022-23	375000	370000	804995	217.6
2023-24	370000			

6.13 वर्ष 2022-23 हेतु उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश और भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक को सीडब्ल्यूएफ द्वारा क्रमशः 315000/- रुपये और 489995/- रुपए की राशि का वित्तपोषित किया गया था।

3. उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष

6.14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान भी दिया जाता है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर 20.00 करोड़ रुपये तक की सीड मनी तक उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष बनाया जा सके। कॉर्पस में केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का योगदान 75:25 (विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90:10) के अनुपात में है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खोले और संचालित किए जाने वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक विशेष ब्याज वाले बैंक खाते में पैसा जमा किया जाना है। कॉर्पस निधि से सृजित ब्याज का उपयोग केंद्र सरकार के मौजूदा सीडब्ल्यूएफ दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को उपार्जित ब्याज का विवरण, उपरोक्त ब्याज से की गई गतिविधियां, खातों का लेखापरीक्षित विवरण, खाते का विवरण, जमा किए गए राज्य के हिस्से का प्रमाण आदि केंद्र सरकार की अपेक्षानुरूप, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा। कॉर्पस निधि योजना के अंतर्गत जारी अनुदानों की स्थिति

6.15 विभाग ने समिति को सूचित किया है कि 21 राज्यों ने इस योजना को चुना है, जिसमें भारत की लगभग 80% आबादी कवर हो रही है। सीडब्ल्यूएफ कॉर्पस कोष से योजनाओं के अंतर्गत कुल 21056.64 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है और ब.अ. 2023-24 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना/संवर्धन के लिए 37 करोड़ रुपये (उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये सहित) आवंटित किए गए हैं।

6.16 यह पूछे जाने पर कि केन्द्रीय सरकार परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी कैसे करती है, विभाग ने उत्तर दिया:

"संबंधित राज्या/संघ राज्ये क्षेत्र की सरकार उपार्जित ब्यानज, उपरोक्तभ ब्याेज से की गई गतिविधियों, लेखापरीक्षित लेखा विवरण, खाते का ब्यौजरा, जमा किए गए राज्य. के हिस्से् का प्रमाण इत्यारदि का ब्यौ्रा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करती है।"

6.17 समिति नोट करती है कि जो धन विनिर्माताओं आदि को वापस नहीं किया जा सकता है, उसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाता है, जिसके नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के 1 के अतंर्गत 1992 में 1991 में इसके संशोधन के अनुसार भारत के राजपत्र में बनाए और अधिसूचित किए गए थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अधिनियमन पर, धारा 57 के अतंर्गत उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई । सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 97 उपभोक्ता कल्याण कोष से संबंधित है। सी डब्ल्यु एफ से वित्तीय सहायता सरकारी निकायों और राज्यों को अन्य बातों के साथ - साथ उपभोक्ता जागरूकता/ संरक्षण गतिविधियों में लगे

उपभोक्ता के कल्याण को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने, उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण के लिए और देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान भी दिया जाता है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता कल्याण (कॉरपस) निधि के रूप में 20.00 करोड़ सीड मनी रु. कॉर्पस में 75:25 (विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90:10) के अनुपात में केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के योगदान के संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को उपार्जित ब्याज का विवरण, उपरोक्त ब्याज से की गई गतिविधियां, खातों का लेखापरीक्षित विवरण, खाते का विवरण, जमा किए गए राज्य के हिस्से का प्रमाण आदि केंद्र सरकार की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार को प्रस्तुत होता है। सरकार ने अब तक 21 राज्यों ने इस योजना को चुना है, जिसमें भारत की लगभग 80% जनसंख्या शामिल है। सीडब्ल्यूएफ कॉर्पस फंड से योजनाओं के अतंर्गत कुल रू. 21056.64 लाख रु अनुदान और रुपये की राशि जारी की गई है। बीई 2023-24 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपभोक्ता कल्याण (कॉरपस) फंड की स्थापना/वृद्धि के लिए 37 करोड़ रुपये (उपभोक्ता कल्याण (कॉरपस) फंड के संबंधित शीर्ष के तहत 32 करोड़ रुपये के साथ) आवंटित किए गए हैं। इस संबंध में, समिति चाहती है कि योजना शेष राज्यों को उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) निधि बनाने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि इन राज्यों में उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को सदृढ़ किया जा सके।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति।

खाद्य,उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को हुई पाँचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1430 बजे से 1610 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री खगेन मुर्मू
4. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
5. डॉ. अमर सिंह
6. श्रीमती कविता सिंह
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री राजमोहन उन्नीथन
9. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

10. श्री सतीश चंद्र दूबे
11. श्री बाबू राम निषाद
12. सुश्री दोला सेन
13. डॉ. अशोक बाजपेयी

सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

साक्षियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री रोहित कुमार सिंह	सचिव (उपभोक्ता मामले)
2.	श्री शान्तामनु	अपर सचिव और आर्थिक सलाहकार
3.	सुश्री निधि खरे	अपर सचिव (उपभोक्ता मामले)
4.	श्री विनोद कुमार	डीडीजी (वित्त) (बीआईएस)
5.	श्री विनीत माथुर	संयुक्त सचिव
6.	श्री अनुपम मिश्रा	संयुक्त सचिव
7.	डॉ. कामखेनथांग गुइते	संयुक्त सचिव
8.	श्री शशि भूषण	सलाहकार (लागत)
9.	श्री ध्रुव कुमार सिंह	सीसीए
10.	श्रीमती ममता उपाध्याय लाल	एडीजी (बीआईएस)
11.	श्री एम सुरेश बाबू	निदेशक
12.	श्री संजय गोस्वामी	वैज्ञानिक (एफ एण्ड एच)
13.	श्री के.सी. सिंघा	निदेशक
14.	श्री एस.के. प्रसाद	निदेशक
15.	श्री सुभाष चन्द्र मीणा	निदेशक
16.	श्री एन. नटराजन	निदेशक (एनआईसी)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

(तत्पश्चात साक्षियों को बुलाया गया)

3. तत्पश्चात्,उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों को अनुदानों की मांगे (2023-24) की जांच के संबंध में समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। इसके बाद,माननीय सभापति ने उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया और कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निदेश 55 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया।

4. उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधियों ने सभापति की अनुमति से विभाग के प्रमुख पहल, घटनाक्रम और पहुँच संबंधी क्रियाकलापों, कार्यशालाओं, उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों में कमी, मामलों का निपटान, मध्यस्थता, पोर्टल के रखरखाव का अधिकार, ई-कॉमर्स में फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं, उपभोक्ता हेल्पलाइन, 'कॉन्फोनेट' में आशोधन, ई-दाखिल, बजट आवंटन और व्यय आदि पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

5. सचिव ने समिति को विभाग की अनुदानों की मांगे (2023-24) के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी और ई-कॉमर्स, भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने और एनटीएच आदि के क्षेत्र में विभाग द्वारा किए गए विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला।

6. तत्पश्चात, समिति ने उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदानों की मांगे (2023-24) से संबंधित मुद्दों जैसे उपभोक्ता आयोगों के अधिकारों और अस्तित्व के बारे में जागरूकता, 'सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट', राज्यों/एजेंसियों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, एनटीएच का आधुनिकीकरण, खरीदार और विक्रेता के बीच अनुबंध का मानकीकरण, बीमा सेवाएं आदि पर स्पष्टीकरण मांगा।

7. उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। तत्पश्चात, सभापति ने समिति के समक्ष उपस्थित होने और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए के लिए विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया और विभाग को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया, जिनके संबंध में जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

8. साक्ष्य पूरा हुआ।

9. कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सोमवार, 13 मार्च, 2023 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1540 बजे तक समिति कक्ष संख्या '3', ब्लॉक-ए, संसदीय सौध विस्तार नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

1. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
2. सुश्री देबाश्री चौधरी
3. श्री अनिल फिरोजिया
4. श्री खगेन मुर्मू
5. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
6. श्री जी. सेल्वम
7. डॉ. अमर सिंह
8. श्रीमती हिमाद्री सिंह
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री राजमोहन उन्नीथन
11. श्री वी. वैथीलिंगम

राज्य सभा

12. श्री सतीश चंद्र दूबे
13. डा. फौजिया खान
14. श्री एम. शनमुगम
15. सुश्री दोला सेन

सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने, अनुदानों की मांगों 2023-24 के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदनों क्रमश: (एक) XXXXXXX XXXXX XXXXXX (दो) उपभोक्ता मामले विभाग विचार करने और स्वीकार करने के लिए बुलाई गई बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने दो प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु लिया:-

(एक) XXXXXXX XXXXX XXXXXX

(दो) उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदानों की मांगें (2023-24)

4. समिति ने कुछ विचार विमर्श के पश्चात् दोनों प्रारूप प्रतिवेदनों को विना कोई संशोधन/परिवर्तन के स्वीकार किया।

5. तत्पश्चात् समिति ने माननीय सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

6. इसके बाद, समिति ने वर्तमान बजट सत्र की समाप्ति के पश्चात् तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

xxxxx **प्रतिवेदन** से संबंधित नहीं है

समिति की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ/ सिफारिशें

क्रम स	पैरा स	समिति की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ/ सिफारिशें
1	बजटीय आबंटन 2.6	समिति नोट करती है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निधियों का आवंटन और उपयोग दर्शाता है कि पिछले 5 वर्षों के वास्तविक व्यय (व. व्यय) में अत्यधिक राशि वापिस की गई । इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को संशोधित अनुमान स्तर पर बेहतर योजना बनानी चाहिए ताकि जितना अनुमान लगाया गया है उतना खर्च किया जा सके और धन के वापिस करने की संभावना को कम किया जा सके।
I2	पूँजीगत शीर्ष 2.13	समिति यह भी नोट करती है कि विभाग ने क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं का निर्माण करके और राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करके पूंजीगत संपत्ति बनाई है। समिति यह भी नोट करती हैं कि चेन्नई और मुंबई में इम्प्ल्स परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में नए भवन ब्लॉक भी बनाए गए हैं। समिति यह भी नोट करती हैं कि पूंजीगत शीर्ष में वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित धन का उपयोग समय प्रसार परियोजना, के लिए समय उपकरणों की खरीद, बाटऔर माप उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए मानक बाटऔर माप, और राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला मे गतिविधियों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाएगा। जबकि विभाग के पास खरीद में तेजी लाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की योजना है। समिति चाहती है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन को उचित योजना के साथ उचित स्तर पर इस तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके।
3	उपभोक्ता आयोगों	समिति नोट करती है कि अर्ध-न्यायिक उपभोक्ता आयोगों को चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता के लिए, उपभोक्ता मामलों

	और राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र **3.17**	**का विभाग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अतंर्गत बुनियादी ढांचे को संदृढ करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग स्तर के प्रभावी कार्यकरण के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सके । इसलिए, समिति आशा करती है कि विभाग पूरी राशि का उपयोग सुनिश्चित करने और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथाशीघ्र यूसी प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करेगा और कड़े कदम उठाएगा।**
4	**कानफोनेट** **3.24**	**समिति नोट करती है कि देश में उपभोक्ता आयोगों के कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग योजना (कानफोनेट) के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों के सभी तीन स्तरों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जाना था। समिति** 2017-18 **से निधियों के खर्च की प्रवृत्ति अर्थात संशोधित अनुमान स्तर से ,की सराहना करती है। समिति** 35 **राज्य आयोगों (एससी)**, 15 **सर्किट बेंचों (सीबी) और** 591 **जिला आयोगों (डीसी) में हार्डवेयर की आपूर्ति**, 32 **एससी**, 10 **सीबी और** 591 **डीसी में जनशक्ति की तैनाती और उन** 35 **एससी के आयोगों के संचालन की भी सराहना करती हैं। ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) पर 35 एस सी** 13 **सीबी और** 588 **डीसी। समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि ई-दाखिल पोर्टल ने 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है और विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को बढ़ावा दे रहा है। समिति आशा करती है कि विभाग भविष्य में भी इस प्रवृत्ति को जारी रखने का प्रयास करेगा।**
5	**निधियों का**	**समिति नोट करती है कि लघु शीर्ष 01.00.52 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र**

	पुनर्विनियोग **4.5**	**के विकास के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए विभाग ने पुनर्विनियोग के माध्यम से वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपये खर्च किए और वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से 19.13 लाख रुपये खर्च किए । इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। विभाग ने सूचित किया कि यह शीर्ष एक गैर कार्यात्मक शीर्ष है तथा निधियों का उपयोग करने से पूर्व कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोग किया जाता है। समिति धन का उपयोग करने के लिए पुनर्विनियोग का सहारा लेने के कारणों से अवगत होना चाहेगी।**
6	**समय प्रसार** **4.14**	**समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय घड़ी के साथ देश के भीतर सभी नेटवर्कों और कंप्यूटरों का संकालन आवश्यक है, विशेष रूप से सामरिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए। समय प्रसार की परियोजना 2017 में शुरू की गई थी और मूल रूप से वर्ष 2022 में पूरा होने की आशा थी। समित ने सूचित किया गया कि अब यह आशा की जाती है कि समय केंद्रों के लिए संपूर्ण उपकरण 2023 के अंत तक प्राप्त हो जाएगा और प्रसार और समय की मुहर । टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट के एकीकरण/परीक्षण के बाद 2024 के दौरान शुरू होने की आशा है। इस दौरान लघु शीर्ष 17.00.52 (मशीनरी एवं उपकरण) के अंतर्गत 58 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती हैं कि टाइमिंग सेंटरों को स्थापित करने के लिए अत्यधिक सटीक परमाणु घड़ियां, हाइड्रोजन मेसर्स आदि को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने की आवश्यकता होती है जो बहुत कम हैं और प्राप्ति में एक वर्ष तक का समय लग जाएगा; एनपीएल द्वारा लगभग सभी अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों के लिए निविदाएं/आदेश दिए गए हैं और 2023 के दौरान आपूर्ति किए जाने की आशा है; उनमें से कुछ की आपूर्ति इसरो को एकीकरण/परीक्षण आदि के लिए की गई है; और 10 दिसंबर 2020 के पत्र के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय से**

		वैश्विक निविदा पूछताछ की अनुमति पहले ही मांगी जा चुकी है। समिति की राय है कि राष्ट्रीय घड़ी के साथ देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटरों का संकालन आवश्यक है, विशेष रूप से वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए सामरिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में । अत:, समिति उपभोक्ता मामलों के विभाग से सिफारिश करती है कि वह समय प्रसार की परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र के विशेषज्ञता वाले लोगों को इसमें शामिल करे ताकि अर्जित लाभ अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों तक जल्द से जल्द पहुंच सके ।
7	**राष्ट्रीय परीक्षणशाला** **4.27**	समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण, माप उपकरणों/यंत्रों और उपकरणों के अंशांकन के क्षेत्र में काम करता है। समिति आगे पाती है कि वित्त वर्ष 23-24 में एनटीएच द्वारा 52.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन आवश्यकता होगी। ताकि एनटीएच द्वारा एनटीएच, कोलकाता और मुंबई में ईवी बैटरी परीक्षण सुविधाओं, गाजियाबाद में ड्रोन परीक्षण सुविधा, जयपुर, राजस्थान में ट्रांसफार्मर परीक्षण परियोजना, 'वन नेशन' वन फर्टीलाइजर्स के अतंर्गत उर्वरक नमूनों के परीक्षण सहित स्वच्छ गंगा परियोजना के अंतर्गत एक उर्वरक योजना और जल निकासी के पानी का परीक्षण, नई परियोजनाओं को शुरू किया जा सकें। समिति का विचार है कि एनटीएच अपनी तरह का एक ऐसा संगठन है जो प्रामाणिक परीक्षण सुविधा प्रदान करता है जिसका उपयोग सरकारी संगठनों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के ग्राहकों द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए, समिति चाहती है कि देश भर में एनटीएच प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए एनटीएच को पर्याप्त धन उपलब्ध हो सुनतिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, समिति मंत्रालय से नागरिकों के बीच एनटीएच के कार्य को लोकप्रिय करने के लिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने

		और एनटीएच के कार्य से परिचित कराने के लिए छात्रों के दौरे की व्यवस्था करने का आग्रह करती है।
8	मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र 5.8	समिति नोट करती है कि 1998 में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्थापित मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) चयनित खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ पांच वस्तुओं की 22 खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और अन्य बाधाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। समूह यानी अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम का तेल), सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य सामान (आटा, चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक)। पिछले 5 वर्षों के दौरान, संशोधित अनुमानों (आरई) के आंकड़ों का औसतन 90.5% उपयोग किया गया और 2023-24 के लिए बीई 600 लाख रुपये केन्द्रों के कार्यक्रम के लिए लगभग 2.99 लाख रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किए गए हैं। समिति यह भी नोट करते हैं कि मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों (पीआरसी) की संख्या 2021-22 में 178 से बढ़कर 2022-23 में 461 हो गई है और विभाग ने देश के सभी जिलों को कवर करने का निर्णय लिया है। इसलिए, समिति चाहती है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए उन्हें योजना की समीक्षा करे।
9	मूल्य स्थिरीकरण कोष 5.15	समिति नोट करती है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना ₹500 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी ताकि कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं अर्थात प्याज, आलू और दालें जिससे की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटा जा सके। ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके । सरकार के निर्णय के अनुसार, पीएसएफ को उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) में 1 अप्रेल 2016 से स्थानांतरित कर दिया गया था। सरकार के कोष से सृजित बफर स्टॉक

		व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और बेईमान अटकलों को हतोत्साहित करता है। 13 **फरवरी**, 2023 **तक पीएसएफ कॉर्पस में** 5,925 **करोड़ रुपये की राशि भी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएडएफडब्ल्यु) द्वारा संचालित मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) द्वारा संचालित मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को एक मंत्रालय के अंतर्गत लाने की दृष्टि से डीओसीए, डीए एंड एफडब्ल्यू और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के बीच अंतर-मंत्रालयी परामर्श चल रहा है। इस बीच रुपये वित्तीय वर्ष** 2023-24 **के लिए पीएसएफ को 0.01 करोड़ रुपये की टोकन राशि आवंटित की गई हैं। इसके अलावा, अंतर मंत्रालयी परामर्श ने पीएसएस और पीएसएफ योजनाओं को मिलाकर मूल्य समर्थन और बफर प्रबंधन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने का निर्णय किया है, जिसे एक ही मंत्रालय यानी डीएएफडब्ल्यू द्वारा लागू किया जाएगा, बफर मानदंडों और प्रबंधन से संबंधित कार्य प्रणाली डीओसीए प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगी। संयुक्त योजना को ईईसी मूल्यांकन और कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अंतर-मंत्रालयी परामर्श ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक कैबिनेट से अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक पीएसएस और पीएसएफ को लागू करने के लिए यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक हन अभियान (पीएम-आशा) के लिए** 30.09.2023 **तक विस्तार की मांग की जा सकती है। ताकि आगामी रबी सीजन के दौरान दलहन और तिलहन की खरीद बाधित न हो। समिति चाहती है कि इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लिया जाए ताकि सरकार कीमतों में किसी भी संभावित उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार रहे और समिति को इस विषय में हुई प्रगति से अवगत कराया जा सके।**
10	**उपभोक्ता**	**समिति नोट करती है कि उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के अतंर्गत**

	जागरूकता (प्रचार) कार्यक्रम **6.7**	**केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), आल इंडिया रेडियो (एआईआर) दूरदर्शन (डीडी), और अन्य संगठन जैसे भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि के माध्यम से और इलैक्ट्रोनिक प्रिंट के रूप में आउटडोर और सोशल मीडिया के रूप में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग उपभोक्ता जागरूकता फैलाने करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है और उपभोक्ता जागरूकता पर पोस्टर प्रदर्शित करके देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग कर रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम (एसआरपी) और जागरूकता फैलाने करने के लिए विज्ञापन एलआईबीएस (आरजे द्वारा संदेश) आकाशवाणी (एआईआर) पर प्रसारित किए जा रहे हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक शुभंकर "जागृति" लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर लाकर, डीओसीए का उद्देश्य डिजिटल और मल्टीमीडिया में अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना है और एक युवा सशक्त और सूचित उपभोक्ता को उपभोक्ता अधिकार जागरूकता रिकॉल ब्रांड के रूप में मजबूत करना है। समिति यह जानकर खुश है कि विभाग देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है जो लंबे समय से दरकिनार कर दिए गए हैं। समिति उत्तर-पूर्वी राज्यों में जागरूकता कार्यक्रमों के प्रसार में विभाग के प्रयासों की सराहना करती है और आगे इच्छा करती है कि जागरूकता अभियान में विशेष रूप से विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे उपभोक्ता संरक्षण, बाट और माप, आभूषणों की हॉलमार्किंग, परीक्षण और अंशांकन, मूल्य निगरानी और स्थिरीकरण आदि जैसी विभाग की विभिन्न योजनाओं मे विशेषकर किया जाए। स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों और किसान समूहों और आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल**

		कर उल्लेख किया जाना चाहिए ।
11	उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष 6.17	समिति नोट करती है कि जो धन विनिर्माताओं आदि को वापस नहीं किया जा सकता है, उसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाता है, जिसके नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के 1 के अतंर्गत 1992 में 1991 में इसके संशोधन के अनुसार भारत के राजपत्र में बनाए और अधिसूचित किए गए थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अधिनियमन पर, धारा 57 के अतंर्गत उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई । सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 97 उपभोक्ता कल्याण कोष से संबंधित है। सीडब्ल्यु एफ से वित्तीय सहायता सरकारी निकायों और राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण गतिविधियों में लगे उपभोक्ता के कल्याण को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने, उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण के लिए और देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान भी दिया जाता है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता कल्याण (कॉरपस) निधि के रूप में 20.00 करोड़ सीड मनी रु. कॉर्पस में 75:25 (विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90:10) के अनुपात में केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के योगदान के संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को उपार्जित ब्याज का विवरण, उपरोक्त ब्याज से की गई गतिविधियां, खातों का लेखापरीक्षित विवरण, खाते का विवरण, जमा किए गए राज्य के हिस्से का प्रमाण आदि केंद्र सरकार की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार को प्रस्तुत होता है। सरकार ने अब तक 21 राज्यों ने इस योजना को चुना है, जिसमें भारत की लगभग 80% जनसंख्या शामिल है। सीडब्ल्यूएफ कॉर्पस फंड से योजनाओं के अतंर्गत कुल रू. 21056.64 लाख रु अनुदान और रुपये की राशि जारी की गई है। बीई 2023-24 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपभोक्ता कल्याण (कॉरपस) फंड की

		स्थापना/वृद्धि के लिए 37 **करोड़ रुपये (उपभोक्ता कल्याण (कॉरपस) फंड के संबंधित शीर्ष के तहत** 32 **करोड़ रुपये के साथ) आवंटित किए गए हैं। इस संबंध में, समिति चाहती है कि योजना शेष राज्यों को उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) निधि बनाने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि इन राज्यों में उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को सदृढ़ किया जा सके।**